www.dhyeyaias.com

जुलाई 2020 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारतीय खाद्य टोकरी

विविधता की आवश्यकता

2 कोविड–19 के कारण सेक्स वर्करों की आजीविका पर संकट

3 महामारी पर अंकुश : विज्ञान के प्रचार व शासन के विकेन्द्रीकरण की जरूरत

4 जलवायु परिवर्तन पर सतर्क होने का सही समय

5 वैश्वीकरण का समापन या नये मानकों की स्थापना : एक विश्लेषण

6 भारत में आर्थिक बहाली एवं उसका आकार : समय की मांग

7 महामारी के दौर में मानव केंद्रित विकास मॉडल

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जुलाई 2020 | अंक 01

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न — 01–16

- भारतीय खाद्य टोकरी : विविधता की आवश्यकता
- कोविड–19 के कारण सेक्स वर्करों की आजीविका पर संकट
- महामारी पर अंकुश : विज्ञान के प्रचार व शासन के विकेन्द्रीकरण की जरूरत
- जलवायु परिवर्तन पर सतर्क होने का सही समय
- वैश्वीकरण का समापन या नये मानकों की स्थापना : एक विश्लेषण
- भारत में आर्थिक बहाली एवं उसका आकार : समय की मांग
- महामारी के दौर में मानव केंद्रित विकास मॉडल

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स — 17–23

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) — 24–25

7 महत्वपूर्ण खबरें — 26–30

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) — 31

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) — 32

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) — 33

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

Content Office
ध्येयIAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारतीय खाद्य टोकरी : विविधता की आवश्यकता

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी ने हमारे भोजन की टोकरी में बदलाव की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। इस महामारी ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, फलत: पोषक खाद्यान्नों की उपलब्धता भी बाधित हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी है कि वैश्विक जीडीपी में प्रत्येक 1% की गिरावट के साथ 7 लाख अतिरिक्त बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। लॉकडाउन के कारण भारत जैसे प्रचुर खाद्य भंडार वाले देशों में भी यह व्यवधान देखा जा रहा है। इस संकट को भारत में भोजन की टोकरी को अधिक पोषण युक्त के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। वर्तमान में भारतीयों के भोजन की टोकरी में अनाज (चावल और गेहूं) की प्रधानता है और दालें भारतीयों विशेषकर शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत हैं। अत: दालों को बढ़ावा देकर भोजन की टोकरी में विविधता के साथ पोषण और पारिस्थितिक लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है।

भोजन में दाल का महत्व

- दलहन दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। इससे प्रोटीन और फाइबर प्राप्त होता है, और यह विटामिन तथा खनिज जैसे लोहा, जस्ता और मैग्नीशियम का एक बड़ा स्रोत है। दलहन खाद्य सुरक्षा में कई तरह से योगदान देता है, जैसे वे पोषण युक्त भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही किसान द्वारा इनका उत्पादन बढ़ाकर अच्छी आय भी प्राप्त की जा सकती है।
- दलहनी फसलें उत्पादन प्रणालियों के महत्वपूर्ण घटक हैं जो जलवायु परिवर्तन के भी अनुकूल होती हैं। दलहनी फसलें वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसे मिट्टी में मिश्रित करने में सक्षम होती हैं।
- दलहनी फसलें कम पानी गहन होती हैं इसलिए भारत में शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। अत: यह सिचाई के लिए उपयुक्त पानी के तनाव को कम करने के लिए पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
- कुछ दलहनी फसलें मिट्टी से बंधे फॉस्फोरस को भी मुक्त करने में सक्षम हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों बढ़ते पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। दलहनी फसलों की स्वाभाविक रूप से बढ़ने की क्षमता कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता को कम तो करती ही है साथ ही भूमि की उत्पादकता में भी सुधार करती है।
- उर्वरकों और कीटनाशकों के कम प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण पर पड़ने वाले अनउपेक्षित प्रभावों का जोखिम भी कम हो जाता है।

भारत में दालों का उत्पादन एवं उत्पादकता

- भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में अरहर (तुअर) और चना मुख्य रूप से उत्पादित की जाने वाली दलहनी फसलें हैं। अरहर दक्कन के पठार में उत्पादित

की जाने वाली खरीफ की एक प्रमुख फसल है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे रबी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। इसके कुल उत्पादन का 33% हिस्सा महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चना रबी काल में पैदा होने वाली एक प्रमुख फलीदार फसल है जिसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश की केंद्रीय उच्च भूमि और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है।

- भारत में 2018-19 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान 23.40 मिलियन टन दालों का उत्पादन किया गया, जबकि वार्षिक घरेलू मांग 26-27 मिलियन टन की है। उत्पादन और मांग के इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। हालांकि, चालू वर्ष के लिए, सरकार ने 26.30 मिलियन टन दालों के उत्पादन को लक्षित किया है और इसके 2030 तक बढ़कर 30 मिलियन टन होने की उम्मीद है।
- भारत में दलहन उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बहुत कम है जो भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अध्ययनों के अनुसार कम उत्पादकता के प्रमुख कारण कीटों (फली भेदक कीट है जो 50% उपज हानि का कारण बनता है) और बीमारियों का प्रकोप, मौसम संबंधी घटनाएँ तथा उर्वरकों का अनुचित प्रयोग आदि हैं। यदि भारत को आयात पर निर्भर हुए बिना भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए पैदावार को 30% तक बढ़ाना है तो दलहनी फसलों को प्रभावित करने वाली इन समस्याओं पर ध्यान देना होगा।

दालों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम

- वर्ष 2030 में हमारे देश की आबादी 150 करोड़ के लगभग हो जाएगी, जिससे दालों की अनुमानित मांग बढ़कर 33 मिलियन टन हो जाएगी। अगर हमें आयात से बचना है और आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो इस दशक में हमारी मौजूदा पैदावार की दर 835 किग्रा/हेक्टेयर में कम से कम 30% की बढ़ोत्तरी करनी होगी। इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं-
- **अनुसंधान में निवेश:** पैदावार में वृद्धि, प्रोटीन प्रचुरता और दलहनी किस्मों को फली भेदक कीटों के प्रति अधिक सहिष्णु बनाने के लिए अनुसंधान में निवेश किया जाना चाहिए।
- चूँकि ये अधिकतर वर्षा आधारित फसलें होती हैं, इसलिए ऐसी किस्में विकसित करने की तीव्र आवश्यकता है जो तेजी से परिपक्व होती हों। अरहर की हाइब्रिड किस्म विकसित करने के लिए हमें आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए बीटी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
- "प्रति बूंद अधिक फसल" प्राप्त करने के लिए होज रील तकनीक जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का जीनोम अध्ययन करके और पानी के उपयोग की दक्षता को भी विकसित किया जा सकता है।
- गन्ने और चावल के साथ दलहन उत्पादन के लिए मिश्रित फसल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- परती भूमि को दलहन के माध्यम से खेती के उपयोग में लाया जा सकता है जिससे उसकी उर्वरता में भी वृद्धि हो सकेगी।

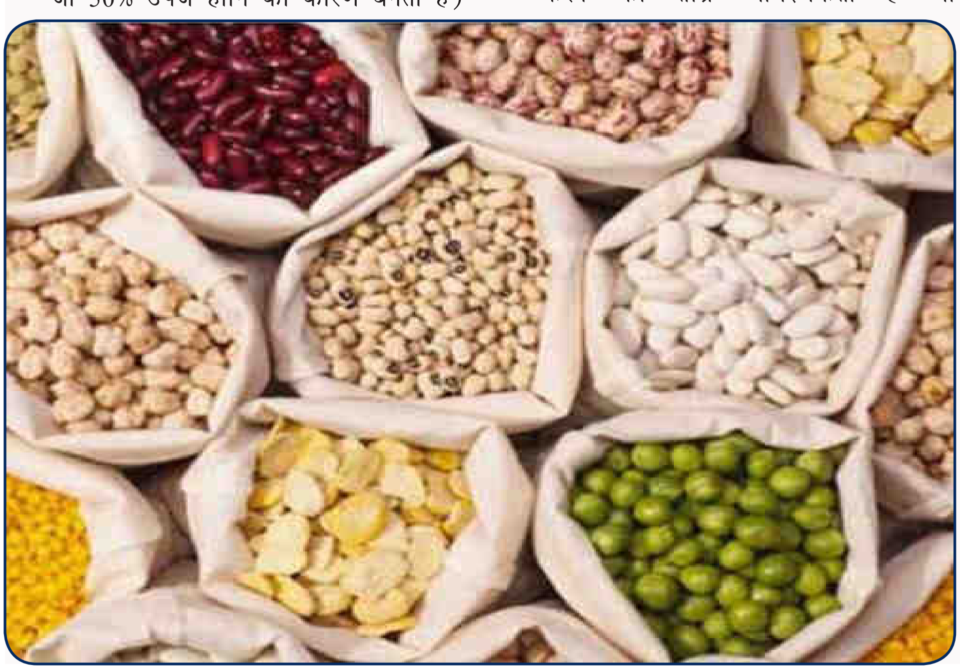

दालों का विपणन एवं किसानों की आय

- दालों की कीमतों के मामले में किसानों को बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। 2015-16 में कीमतों में उच्च उतार-चढ़ाव की वजह से अरहर दाल की मांग मे वृद्धि के साथ कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी। सरकार ने खुदरा कीमतों को कम करने के लिए आयात प्रतिबंधों में ढील दी इससे आयात में वृद्धि हुई है और कीमतों में कमी आई। 2015 में उच्च कीमतों के कारण 2016 में किसानों ने दालों का अधिक उत्पादन किया। इसके कारण भारत में आयात और उच्च उत्पादन के चलते आपूर्ति अधिक हो गयी और कीमतें तेजी से गिरने लगी, जिससे किसानों को आय में कमी आई।
- हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की गयी है लेकिन उच्च आयात और आपूर्ति को देखते हुए दलहन की बाजार की कीमतें कम ही रहीं हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा दालों की खरीद भी कम की जाती है, जिससे किसानों को अपनी फसल

बाजार कीमत पर बेंचनी पड़ती है, इससे किसानों आय कम हो जाती है।

- इसलिए बाजार में ऐसे सुधार और पूर्वानुमानित आयात और निर्यात नीति की आवश्यकता जो किसानों की आय और उपभोक्ता हितों (कोई उच्च खुदरा मूल्य) को संतुलित करती हो। इसके लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं-
- ई-नाम, एक राष्ट्र एक बाजार को प्राप्त करने में एक अच्छी पहल है। सभी राज्यों और कृषि उत्पाद एवं मंडी समितियों (एपीएमसी) को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- ग्राम स्तर के प्रसंस्करण केंद्र किसानों के लिए बाजार प्रदान कर सकते हैं। किसान-उत्पादक संघ और उद्यमियों को नीतिगत समर्थन प्रदान करके ऐसे प्रसंस्करण केन्द्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- दालों के आयात और निर्यात के लिए अनुमानित नीतिगत वातावरण की आवश्यकता है। आयात के लिए अचानक लिए जाने वाले फैसले किसानों को संकट में डाल देते हैं।
- पोषण मानकों में सुधार करने तथा किसानों के लिए एक बाजार प्रदान करने के लिए दलहन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाना चाहिए।

दलहनी फसलों से संबंधित चुनौतियाँ

- दलहनी फसलों को प्रभावित करने वाले कारकों में वर्षा एक प्रमुख कारक है। भारत में दलहन उत्पादक क्षेत्र वर्षा आधारित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, इसलिए उनकी उत्पादकता वर्षा की मात्रा और वितरण द्वारा नियंत्रित होती है।
- वर्षा की तीव्रता और वितरण से खरीफ की दलहनी फसलें जल ठहराव (ऑक्सीजन तनाव) की चपेट में आ जाती हैं तथा वर्षा की कमी के चलते रबी की दलहनी फसलों की पानी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- चरम मौसमी स्थिति जैसे कि तापमान के अचानक बढ़ने या कम हो जाने से पौधों के फूल मुरझा जाते हैं या जल्दी पकने लगते हैं फलत: अनाज की पैदावार कम हो जाती है।
- कीट और बीमारियां भी दलहनी फसलों के लिए प्रमुख चुनौती है। राष्ट्रीय समेकित नशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र (NCIPM) ने अपने अध्ययन में फली भेदक (हेलिकोवर्पा आर्मेगेरा), फ्यूसेरियम विल्ट, रूट रोट्स, और चने में एस्कोचिआ ब्लाइट के द्वारा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में दलहनी फसलों को 10-90% का नुकसान का रिकॉर्ड किया है। इन कीटों और मोजेक बाँझता रोग के कारण तूर की फसल को 15-60% तक की क्षति हो जाती है।
- इन सब के अलावा छोटी जोत और सीमित दलहन उत्पादक क्षेत्र भी देश में दलहन के कम उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

दलहन उत्पादन बढ़ाने के लाभ

- मृदा कार्बन सिस्टेस्ट्रेशन क्षमता का दोहन करने के लिए दलहन सर्वोत्तम फसल है। फसल प्रणालियों में दलहनी फसलों को शामिल करके मृदा कार्बन अनुक्रमिक क्षमता का दोहन किया जा सकता है। एकल-फसल प्रणालियों की तुलना में अंतर-फसल या फसल आवर्तन उच्च मृदा कार्बन संचयन में अधिक कारगर होती है जैसे दलहनी फसलों के साथ आमतौर पर किया जाता है।
- दलहनी फसलें जैविक खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह उच्च मूल्य वाली और कम उर्वरक की आवश्यकता वाली फसल के साथ जैविक खेती के लिए फसल / किस्मों के चयन के सभी महत्वपूर्ण मानदंडों को पूरा करती है।
- दालें आमतौर पर अनाज (गेंहू और चावल) की तुलना में 2-3 गुना अधिक मूल्य प्राप्त करती हैं और पोषक तत्वों की आवश्यकता के रूप में आमतौर पर दालों को कम मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है।
- उच्च एमएसपी और अच्छे व्यापार के अवसरों के साथ, दलहन उत्पादक का एफपीओ फेडरेशन बनाकर स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन और क्लस्टर / फेडरेशन स्तर पर दालों के प्रसंस्करण से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

- दलहन खाद्य सुरक्षा, पोषण और पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (लक्ष्य 2-कोई भूख न रहे; लक्ष्य 12-जिम्मेदार खपत) को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. कोरोना महामारी के दौरान भोजन की टोकरी में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे लोगों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान किया जा सके। टिप्पणी करें।

02 कोविड-19 के कारण सेक्स वर्करों की आजीविका पर संकट

चर्चा का कारण

- कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हुए लॉकडाउन एवं संक्रमण के बढ़ते खतरे ने हजारों कामगारों पर आजीविका का संकट ला दिया है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चलनी मुश्किल हो गई है। इन कामगारों में सेक्स वर्कर्स (sex workers) भी शामिल हैं।

परिचय

- अंतर्राष्ट्रीय वेश्यावृत्ति अधिकार दिवस या इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे (International Sex Workers Day) हर साल 2 जून को मनाया जाता है। वैसे तो इस दिन को इस उद्देश्य से मनाया जाता है ताकि यौनकर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाई जा सके जिससे कि वे भी 'सम्मान' की जिंदगी बसर कर सकें, लेकिन ऐसा असल में होता बहुत कम है।
- कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लगे लॉकडाउन (अब अनलॉक किया जा रहा है) का समाज के लगभग हर तबके पर असर पड़ा है। मजदूरों, किसानों सहित छोटे कारोबारी आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं लेकिन समाज का एक ऐसा तबका भी है, जिसकी समस्याओं पर सरकार और समाज दोनों की ही नजर नहीं है। ये हैं देश के सेक्स वर्कर्स, जिनमें महिलाओं, पुरुषों से लेकर ट्रांसजेंडर तक शामिल हैं।
- अजमेरी गेट से लाहौरी गेट तक एक किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैले गार्स्टिन बैस्टियन (जीबी) रोड की गिनती भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में होती है। यहाँ आए दिन कई गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से पता चलता है कि लड़कियों को देश के अलग-अलग कोनों से लेकर लाया जाता है। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में फैली करोना महामारी ने इनका जीवन दूभर कर दिया है।

भारत के सेक्स वर्करों का भविष्य अनिश्चित

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अनुसार, भारत में लगभग 6,37,500 यौनकर्मी हैं और पांच लाख से अधिक ग्राहक दैनिक आधार पर रेड-लाइट क्षेत्रों का दौरा करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इनका भविष्य अंधकार में है। इस मामले में संक्रमण फैलने की दर अधिक हो सकती है, क्योंकि यौन क्रिया या संभोग के दौरान सामाजिक दूरी संभव नहीं है।
- संक्रमित ग्राहक लाखों अन्य नागरिकों को यह बीमारी फैला सकते हैं। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि भारत में अगर राष्ट्रव्यापी बंद खत्म भी हो जाता है तो यहां रेड-लाइट एरिया (ऐसे स्थान जहां वेश्यावृत्ति होती है) को बंद ही रखा जाना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा किया गया तो भारत में कोरोना वायरस के मामलों के उच्च स्तर पर पहुंचने में 17 दिनों की देरी लाई जा सकती है।
- इसके अलावा इससे कोविड-19 के अनुमानित नए मामलों में 72 फीसदी की कमी लाई जा सकती है। 'मॉडलिंग द इफैक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड क्लोजर ऑफ रेड-लाइट एरियाज ऑन कोविड-19 ट्रांसमिशन इन इंडिया' नाम के अध्ययन में पाया गया है कि अगर राष्ट्रव्यापी बंद के बाद तक रेड लाइट एरिया को बंद रखा जाता है तो भारतीयों को कोरोना वायरस होने का बहुत कम जोखिम है।

सेक्स वर्करों के समक्ष चुनौतियाँ

- लोगों में कोरोना का डर बना हुआ है, जो सेक्स वर्कर के काम को प्रभावित कर रहा है। इन सेक्स वर्कर के पास आने में लोग हिचक रहे हैं, तो कुछ हिचकिचाहट इनके मन में भी होगी कि कहीं ग्राहक के रूप में इनके पास आ रहा शख्स बीमारी लेकर तो नहीं आ रहा है।
- चिंता उन महिलाओं की अधिक है जो किराए के मकानों में रहती हैं, जिन पर घर-परिवार की जिम्मेदारी है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वे कहां से किराया देंगी? कैसे बच्चों का लालन-पालन करेंगी? कई सेक्स वर्कर्स कर्ज के पैसों से काम चला रही हैं, जो उन्होंने ब्याज पर लिए हैं।
- हमारे देश में एक निश्चित दायरे में ही सेक्स वर्क्स को मान्यता प्राप्त है लेकिन इसे अभी तक रोजगार का दर्जा नहीं दिया गया है। यही वजह है कि सेक्स वर्कर्स की आर्थिक हालत बहुत दयनीय है। साथ ही देखा जाये तो भारत

के वेश्यालय अपनी अमानवीय परिस्थितियों के लिए भी बदनाम हैं। कोरोना से लड़ने के लिए साफ-सुथरे इलाके में रहना और सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोनो वायरस से लड़ने की कुंजी कहा जा रहा है, लेकिन इन सेक्स वर्कर्स के हालात बिल्कुल इसके विपरीत हैं।

- अगर सरकार के 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का फायदा यौनकर्मियों तक नहीं पहुंच पाता तो ये सरकार की बहुत बड़ी चूक और भेदभावपूर्ण रवैया होगा। आज इस उद्योग में काम करने वाली महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दान पर निर्भर हैं, जिसमें लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा शामिल है। विशेष रूप से एचआईवी/एड्स के इलाज के लिए एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी दवाएं।
- रेड-लाइट एरिया में कई एचआईवी पॉजिटिव और टीबी मरीज हैं। ऐसे लोगों के लिए क्लीनिक जाना मुश्किल हो गया है। कई यौनकर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दे भी हैं, जिनमें शराब और तंबाकू की लत शामिल है।
- लॉकडाउन के पूर्णतया समाप्त होने के बाद भी, यौनकर्मियों को COVID-19 के प्रभाव से बचने के लिए अपने ग्राहकों के बारे में बहुत सावधान रहना होगा।

सरकारी प्रयास

- सन 1950 में भारत ने मानव दुर्व्यापार एवं वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्र की अभिपुष्टि की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करने के लिए भारत ने 1956 में मानव दुर्व्यापार दमन अधिनियम पारित किया। यह मई 1957 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। इसकी विसंगतियों को दूर करने एवं नई चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम में यौनकर्मियों के अधिकारों को न केवल संरक्षित करने बल्कि उनके पुनर्वास का भी प्रावधान किया गया। इसके अलावा 1993 में उच्चतम न्यायालय के एक दूरगामी महत्व के फैसले में यौनकर्मियों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने का आदेश दिया तथा साथ ही यह निर्देश दिया गया कि ऐसे बच्चों को पिता का नाम देना बाध्यकारी नहीं होगा। दिसम्बर, 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यौन कर्मियों के हित संरक्षण, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार रोकने एवं वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए 'उज्जवला' नामक योजना लागू की गई है।

आगे की राह

- सरकार को हर प्रकार की पेंशन की राशि में कम से कम 50 फीसदी की बढ़ोतरी करनी चाहिए और एक आपातकालीन पेंशन फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसका फायदा एकल महिला, प्रवासी मजदूर, यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर, एचआईवी और गंभीर बीमारी से संक्रमित लोगों, बुजुर्गों, विकलांगों,बेघरों इत्यादि को मिल पाए।
- पिछले ढाई दशकों से भी ज्यादा समय से देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है। सरकार उस कार्यक्रम के माध्यम से यौनकर्मियों तक पहुंचे। साथ ही सरकार को चाहिए कि यौनकर्मियों के साथ बैठकर समावेशी योजना बनाए जिससे लाखों यौनकर्मियों तक सामाजिक सुविधा, आर्थिक मदद पहुंच सके। अगर कोई भी यौनकर्मी हिंसा या तनाव से ग्रसित है तो सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं का दायित्व है कि उन विषयों पर काम करें। यौन कर्मियों के संदर्भ में पुलिस को संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
- यौन कर्मियों के प्रति समाज का नजरिया भी बदलना चाहिए ताकि इन्हें रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हुए लॉकडाउन एवं संक्रमण के बढ़ते खतरे ने हजारों सेक्स वर्करों पर आजीविका का संकट ला दिया है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चलनी मुश्किल हो गई है। चर्चा कीजिये

03 महामारी पर अंकुश : विज्ञान के प्रचार व शासन के विकेन्द्रीकरण की जरूरत

संदर्भ

- केन्द्र सरकार द्वारा मई के अंत तक राज्यों को महामारी के प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता दे दी गई, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी सेवाओं को वितरित करने के लिए निश्चित रूप से बेहतर नीति थी। इससे राज्य सरकारें भी अधिक जवाबदेह हो जाती हैं।
- मई के मध्य में किए गए ICMR सीरोलॉजिकल सैंपल स्टडी के अनुसार, गैर-महानगरीय भारत का लगभग 1 प्रतिशत हिस्सा संक्रमित है और इस प्रकार जैसे-जैसे संक्रमण फैलता जायेगा तब राज्यों को सुधारात्मक उपाय करने में बहुत मुश्किले होंगी।

भारत की स्थिति

- देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाएँ सर्वविदित हैं। सेंटर फॉर डिसीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी (इंडिया) और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययन के मुताबिक भारत के अस्पतालों में कुल 7,13,986 बेड हैं जिसमें से गहन देखभाल इकाई में 35699 बेड हैं जबकि वेंटिलेटर युक्त बेडों की संख्या 17,850 हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018 के अनुसार, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च देश की जीडीपी के 1 प्रतिशत से भी कम है, जो उसके कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत), श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) और नेपाल (1.1 प्रतिशत) से तुलनात्मक रूप से कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जीडीपी के प्रतिशत खर्च के लिए अपने क्षेत्र के 10 देशों में नीचे से दूसरे स्थान पर है।
- मालदीव अपने सकल घरेलू उत्पाद का 9.4 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है, इसके बाद थाईलैंड (2.9 प्रतिशत) करता है।

सुधार हेतु आधार रणनीति

- सामुदायिक स्तर पर महामारी से निपटने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए मेट्रिक्स, काफी मदद कर सकते हैं। यह लोगों और प्रशासन का मार्गदर्शन कर सकते हैं और प्रत्येक राज्यों की कार्यों की परस्पर तुलना करने और एक दूसरे से सीखने में मदद कर सकते हैं।
- किसी भी क्षेत्र के वर्गीकरण में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय निर्धारक शामिल होने चाहिए, उदाहरण के लिए, क्षेत्र का घनत्व, एक कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या या सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या।
- ICMR द्वारा डिजाइन किया गया स्पेसिमेन रेफरल फॉर्म (SRF) का उपयोग भी उचित रणनीति बनाने में कर सकते हैं, (जो PCR कोरोना टेस्ट करने के लिए भरा जाता है)। इसमें रोगी की पृष्ठभूमि दर्ज की जाती है। इसमें रोगी के उम्र, स्थान और लक्षण का रिकॉर्ड होता है जो हमें रोग की गतिशीलता और गंभीरता और हमारी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता में पर्याप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करते हैं, हालाँकि इस डेटा का तत्काल उपलब्ध कराया जाना एक बड़ी चुनौती है।
- इसके अलावा हम उन प्रवासियों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो सुरक्षित रूप से घर पर पहुंच गए हैं या जो नहीं पहुंचे हैं।
- हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गाँव और कस्बे महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। इसे परखने का आधार स्वास्थ्य केंद्र की न्यूनतम तैयारी है जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में

1,000 बिस्तर, डॉक्टर और एम्बुलेंस की उपलब्धता है।

- इसके अलावा महामारी के अल्पीकरण और अनुकूलन के लिए सामाजिक समझ और स्थानीय समाधानों की जरूरत होती है। इसमें क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन और नागरिक समाज के साथ भागीदारी की आवश्यकता है।

उपाय

- वर्तमान में लॉकडाउन के बाद रोकथाम जोन (कन्टेनमेंट जोन) नामक उपकरण महामारी का प्रबंधन करने के लिए एकमात्र तरीका बचा है। इसमें मोस्ट सेंसिटिव सीमा का सीमांकन, परीक्षण, उपचार, अनुरेखण (ट्रेसिंग) और संगरोध शामिल है ,लेकिन यह सबसे प्रभावी तब होंगे, जब राज्य के साथ भी केंद्र का समन्वय होगा।
- जिला स्तर पर कोरोना संबंधित डेटा का अधिकांश हिस्सा पहले ही राज्यों द्वारा केंद्रीय डेटा पोर्टल COVID19.nhp.gov.in पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- ग्रामीण स्तर पर कुछ अन्य आँकड़ें काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें गांव में विद्यमान क्वारंटीन सेंटरों की संख्या, पी.डी.एस. के कामकाज के आँकड़ें एवं पेयजल की उपलब्धता शामिल है।
- मास्क, सामाजिक दूरी और खुलेपन के महत्व की सराहना करनी होगी साथ ही इसका अनुसरण भी करना होगा। उपयुक्त स्थानों में कैमरे स्थापित करके इसकी निगरानी किया जा सकता है।
- दूसरी तरफ सामाजिक दूरी के उपाय हेतु संकेतक भी उत्तरदायी होते हैं, इनमें बस की सीटों का प्रबंधन, टिकट वितरण की व्यवस्था, बाजार में पैटर्न के आधार पर व्यापार एवं कलर कोडिंग की लोकप्रियता सामाजिक गतिशीलता में प्रभावी हो सकती है।

निष्कर्ष

- महामारी के अल्पीकरण और अनुकूलन के लिए सामाजिक समझ और स्थानीय समाधानों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिविल सोसाइटी के साथ-साथ क्षेत्रीय संस्थानों में वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। जो न केवल जीवन की रक्षा स्वयं करने के लिए प्रेरित करेगा बल्कि यह भय को कम करेगा और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने में मदद करेगा।
- अंततः हमें वायरस के साथ रहना सीखना चाहिए, साथ ही हमें अपनी खुशियों को नजरंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि एक नए समाज का निर्माण पुनः खुशहाली से कर सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. कोविड-19 के बढ़ते खतरों के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने राज्यों को महामारी के प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता दी है। यह स्वतंत्रता राज्यों को इस महामारी से लड़ने में कितना कारगर होगा। चर्चा करें।

04 जलवायु परिवर्तन पर सतर्क होने का सही समय

चर्चा का कारण

- वर्तमान समय में विभिन्न देशों के प्रधानों ने जिस प्रकार कोरोना से लड़ने में तात्कालिक तत्परता दिखाई है उसी प्रकार अब उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति भी सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्बन -डाइऑक्साइड के साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ गया है।

कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता तथा वैश्विक औसत तापमान वृद्धि का इतिहास

- गौरतलब है कि 18,000 साल पहले CO_2 की सांद्रता में स्वत: वृद्धि शुरू हुई थी , जब इसकी मात्रा 200 पीपीएम से कम थी और तात्कालिक समय में पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी थी।
- 11,500 साल पहले CO_2 के 270 पीपीएम तक पहुंचने से उत्पन्न गर्म वायुमंडलीय परिस्थितियों ने पृथ्वी पर कृषि उत्पादन को संभव बना दिया।
- तत्पश्चात पिछले 10,000 वर्षों में औद्योगिक क्रांति से पहले CO_2 स्तर कभी भी 280-300 पीपीएम से अधिक नहीं हुआ। 19 वीं शताब्दी के मध्य में, मानव द्वारा औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कोयले और तेल के उपयोग और कृषि एवं बस्तियों का विस्तार करने के लिए जंगलों को जलाना शुरू कर दिया गया।
- नतीजतन 1850 में मात्र 0.2 बिलियन टन CO_2 उत्सर्जन से लेकर, 2018 तक वार्षिक उत्सर्जन बढ़कर 36 बिलियन टन हो गया। हालाँकि, हमारी प्रकृति ने इस बढ़े हुए CO_2 उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से साफ कर दिया, जिसमें वनों और महासागरों द्वारा कार्बन सिंक के रूप में काम करना भी शामिल है। परन्तु फिर भी वनीकरण और प्रकृति के अधिकाधिक्य दोहन के कारण वातावरण में CO_2 का स्तर 2018 में 407 पीपीएम तक पहुंच गया। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की यह सांद्रता पिछले 3 मिलियन से अधिक वर्षों पहले देखी गई थी।

- इसके अलावा यदि हम वैश्विक तापन के आकड़ों की तरफ देखे तो पता चलता है कि 1850 के बाद से लगभग एक शताब्दी से अधिक समय तक वैश्विक तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही थी और इसलिए किसी भी प्रकार के गंभीर परिवर्तन की कोई आशंका भी नहीं जताई गयी , परन्तु 1975 के बाद से तापमान के ग्राफ ने एक अलग ही उर्ध्वगामी रुझान प्रदर्शित किया और 2015 तक तो पृथ्वी सौ साल पहले के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गई। जलवायु विज्ञान के जानकर एक सटीक अनुमान लगाते हुए बताते है कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं किया गया तो पृथ्वी इस शताब्दी के अंत तक 4°C गर्म हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- हाल में बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियरों को पिघलाकर पहाड़ों पर बर्फ के आवरण को कम किया है। इससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और जल सुरक्षा जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। आँकड़े दर्शाते हैं कि पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- उच्च तापमान का कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो सकती है, साथ ही उर्वर भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएँ भी सामने आ सकती हैं।
- तापमान में वृद्धि के कारण वनस्पति पैटर्न में बदलाव ने कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिये मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, पृथ्वी की एक-चौथाई प्रजातियाँ वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकती हैं। वर्ष 2008 में ध्रुवीय भालू को उन जानवरों की सूची में जोड़ा गया था जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो सकते थे।
- जलवायु परिवर्तन में न केवल तापमान में बदलाव, बल्कि मौसम के हर अन्य घटक जैसे वर्षा, आर्द्रता और हवा की गति शामिल है जिनके कारण विश्व स्तर पर कई चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि तूफान, हीट वेव या सूखा। उदाहरणस्वरूप 2003 में यूरोप में हीट वेव के कारण 70,000 से अधिक लोगों की जान चली गयी थी।
- वर्ष 2015-19 विश्व स्तर पर रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। उच्च तापमान ने 2019 में अमेजॅन की आग 2019-20 में ही ऑस्ट्रेलिया

में लगी आग में योगदान दिया, जिससे भारी तबाही हुई।

- यदि वैश्विक CO_2 उत्सर्जन वर्तमान दर से बढ़ना जारी रहा, तो भारत के अधिकांश राज्यों में गर्मी का औसत तापमान 4°C बढ़ जाएगा।

वित्तीय पोषण

- जलवायु परिवर्तन संरक्षण पर अधिकांश देशों का सबसे सामान्य तर्क यह है कि अर्थव्यवस्था की कीमत पर हम जीएचजी उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं।
- हालाँकि 2009 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के अल्पीकरण और अनुकूलन के लिए विकासशील गरीब देशों को 2020 तक प्रत्येक वर्ष 100 अरब डॉलर की सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया था। इसे 'क्लाइमेट जस्टिस' की परिकल्पना नाम दिया गया है जिसके अनुसार धनी राष्ट्र (जिन्होंने अधिकांश जीएचजी के कारण ग्लोबल वार्मिंग पैदा की है), को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अन्य देशों को भुगतान करने की आवश्यकता है।
- 2017 में केवल 71 बिलियन डॉलर की राशि प्रदान की गई थी, जिसमें से 20% से भी कम धन का जलवायु अनुकूलन में प्रयोग किया गया था।
- इन स्थितियों को देखते हुए यह भी संभावना नहीं लगती कि विकसित देश 2020के दौरान महामारी के कारण जलवायु वित्तपोषण में 100बिलियन डॉलर भी वितरित करेंगे।

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। जिसमें 195 सदस्य देश हैं।
- इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिये नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है।
- IPCC आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।
- यह समझौता जून, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च, 1994 को इसे लागू किया गया।
- वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ और विकसित देशों (एनेक्स-1 में शामिल देश) द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिये लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स-1 में रखा गया है।
- UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) के नाम से जाना जाता है।

पेरिस समझौता

- वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जलवायु परिवर्तन और भारत

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था।
- इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है।

इस कार्य योजना में मुख्यत: 8 मिशन शामिल हैं:

- राष्ट्रीय सौर मिशन
- विकसित ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन
- सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
- हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
- सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
- जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

चुनौतियाँ

- गौरतलब है कि वर्ष 2015 तक, वैश्विक औसत तापमान सौ साल पहले की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।
- वर्तमान अनुमानों से पता चलता है, कि दुनिया पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से अभी बहुत पीछे है, जिसके अनुसार औसत वैश्विक तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से कम वृद्धि करनी है,क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि भयावह पर्यावरणीय दुष्चक्र का उद्भव कर सकती है।

आगे की राह

- बढ़ती जलवायु संकट से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अनुमान है कि पूर्व-औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष 1.5°C से नीचे तापमान को बनाए रखने के लिए 2035 तक अधिक कुशल ऊर्जा प्रणालियों में 2.4 ट्रिलियन डॉलर का निरंतर वार्षिक निवेश आवश्यक है और यह वैश्विक जीडीपी का लगभग 2.5% होगा।
- हालाँकि COVID-19 ने जलवायु परिवर्तन से मानवता को एक संक्षिप्त राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान जीवाश्म ईंधन से कार्बन उत्सर्जन निश्चित रूप से कम हो गया है। परन्तु महामारी फैलने के बाद अब समाज की संरचना और कामकाज में बदलाव की जरूरत है।
- प्रौद्योगिकीविदों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों को इक्विटी और जलवायु न्याय (क्लाइमेटजस्टिस) के सिद्धांतों के आधार पर एक स्थायी व्यवस्था हेतु योजना बनानी चाहिए।
- विभिन्न देशों के नेताओं को जलवायु संकट पर उसी सतर्कता के साथ काम करना चाहिए जिस सतर्कता के साथ कोविड-19 पर किया है।
- जलवायु परिवर्तन परिदृश्य से निपटने के लिए निम्नलिखित तकनीकी हस्तक्षेपों का सुझाव दिया जा रहा है:
  - वायुमंडल से बड़ी मात्रा में CO_2 को निकालकर सुरक्षित रूप से भंडारण करना। (Geo-sequestering)
  - भू-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों द्वारा सौर विकिरण का विनियमन। (वायुमंडल में एरोसोल का उपयोग करना या विशाल परावर्तक को अंतरिक्ष में रखना।)
- दुनिया भर की सरकारें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए विशाल प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च कर रही हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने का एक सुनहरा अवसर है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के कारण उत्पन्न समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए किये गये उपायों पर विस्तार से चर्चा करें।

05 वैश्वीकरण का समापन या नये मानकों की स्थापना : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

- विश्व के कई अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्वीकरण अब अपने निम्न स्तर पर पहुँच गया है। वर्तमान परिदृश्य में COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला और पूंजी प्रवाह बाधित हुई है। इस वैश्विक महामारी ने इससे संबंधित परिणाम बहुत जल्दी प्रदर्शित कर दिए हैं जैसे कि अंतराष्ट्रीय सीमाओं का बंद होना, हमारे आस-पास सामाजिक अलगाव का परिवेश साथ ही वैश्विक वाणिज्य में उत्तरोत्तर कमी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तुलना में प्रत्येक राज्यों की भूमिका का अधिक प्रमुख होना आदि।
- इस संदर्भ में दुनिया भर के देशों ने भी अब आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु घरेलू उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने के कई उपायों की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने भी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। उदाहरणस्वरूप CRPF का अपनी कैंटीन में केवल घरेलू उत्पादों को रखने का निर्णय, इसलिए अब वैश्वीकरण की समाप्ति की आशंका जताई जा रही है।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सभी देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, इस परिस्थिति ने वैश्वीकरण के भविष्य के बारे में कुछ प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हालाँकि यह सवाल शायद ही नया हो, क्योंकि 1990 के दशक के मध्य से, या इसके शुरुआती दिनों से ही, कई लोगों को वैश्वीकरण के भविष्य के बारे में संदेह था।
- वैश्वीकरण के भविष्य के बारे में यह अनिश्चितताएं, चीन के संभावित अपवाद के साथ सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, लॉकडाउन के कारण उत्पन्न अवरोधों के मद्देनजर उत्पन्न हुई हैं। यह अवरोध 1930 के दशक के महामंदी की याद दिलाते हैं, जिसके बाद अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं संरक्षणवादी बन गई थीं।
- 1991 तक शीत युद्ध के बाद यूएसए की जीत, यूएसएसआर के विघटन के साथ ही पूंजीवाद और लोकतंत्र की वैचारिक जीत हुई। इसके कारण वाशिंगटन में सर्वसम्मति बनी जिसने यह स्वीकार किया कि आर्थिक विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मुक्त बाजारों के साथ उदार लोकतांत्रिकता ही सही तरीका है।
- उत्पादों और पूंजी की मुक्त आवाजाही के साथ मुक्त व्यापार की स्थापना की गई थी, जिसका अनुसरण सभी को करना था। इसके कारण आर्थिक रूप से राष्ट्रों का परस्पर जुड़ाव हुआ, जिसका सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा जिसे वैश्वीकरण कहा जाने लगा।

वैश्वीकरण में गिरावट

- 2008 के ग्लोबल फाइनेंसियल क्राइसिस के परिणामस्वरूप उच्च बेरोजगारी, धीमी वृद्धि और भारी असमानताएं उत्पन्न होने लगी। इसी दौरान चीन के आर्थिक विकास ने यह दर्शाया कि समृद्धि के लिए उदार लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसने राष्ट्रवाद की लोकलुभावन प्रवृत्तियों को जन्म दिया और वाशिंगटन सर्वसम्मति के उदारवादी मूल्यों को प्रतिस्थापित कर दिया।
- इससे बाद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं के मुक्त व्यापार पर प्रतिबंधों ने संरक्षणवाद को जन्म दिया। हालाँकि मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार, जीएफसी संकट के उद्भव और व्यापक प्रसार के कारण थे। वैश्विक व्यापार विकास GFC संकट से पहले 10 % से GFC संकट के बाद 1-2 % तक पहुंच गया।
- इसलिए वैश्वीकरण, 2008 के GFC संकट के बाद से ही कमजोर पड़ने लगा था और वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने इसे समाप्ति के राह पर लाकर खड़ा कर दिया है।
- इस संदर्भ में वैश्विक व्यापार विकास पर लॉकडाउन का विपरीत संभावित प्रभाव पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन ने भविष्यवाणी की थी कि 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 13-32%की गिरावट आ सकती है।

वैश्वीकरण की वर्तमान स्थिति

- वैश्वीकरण के लिए अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण से अलग होने के संकेत दे रही हैं।
- इसमें सबसे बड़े व्यापारी चीन ने इस प्रवृत्ति को प्रमुखता से दर्शाया भी है। 2008 में, जीडीपी के अनुपात में चीन का व्यापार 58% के करीब था, लेकिन एक दशक बाद यह मुश्किल से 38% था। भारत ने भी इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई है। 2012 में भारत की जीडीपी के अनुपात में व्यापार लगभग 56% तक पहुंच गया था, लेकिन 2018 में यह 43% पर आ गया।
- इसके अलावा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा प्रदान किए गए डेटा से पता चलता है कि 2005 और 2015 के बीच, प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात ने घरेलू मूल्य संवर्धन पर अधिक भरोसा किया है। उदाहरण के लिए, चीन के निर्यात में घरेलू सामग्री 2005 में 74% के करीब थी और 2015 में बढ़कर 83% हो गई थी।
- एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के सदस्य देशों ने भी धीरे-धीरे अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ा दी है।
- अमेरिका ने कोरोना वायरस सहायता, राहत और आर्थिक सुरक्षा (CARES) एक्ट, को अपनाते हुए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें 2.2 ट्रिलियन डॉलर या देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के

लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद, कई अमेरिकी एजेंसियों ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य घरेलू व्यवसायों को पुनर्जीवित करना है।

- हालाँकि एजेंसियों का इरादा इन व्यवसायों का इसलिए भी समर्थन करना है, ताकि उन्हें वैश्विक बाजारों में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।

वैश्वीकरण की सीमाएं

- COVID-19 महामारी ने भूमंडलीकरण की निम्नलिखित सीमाओं को उजागर किया है:
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अपरिहार्यता जैसे कि मेडिसिन, पीपीई, मास्क, दस्ताने इत्यादि के लिए चीन पर निर्भरता ने कई राष्ट्रों की चिंता को बढ़ा दिया है।
    - बाजार मानव केंद्रितता के बजाय लाभ कमाने पर केन्द्रित है जिससे सार्वजनिक वस्तुओं को भी प्राप्त करने में समस्या होती है। उदाहरणस्वरूप निजी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाओं और उपचार को उच्च कीमतें पर प्रदान करना।
    - देशों की व्यापार सुरक्षा पर खतरा जैसे चीन द्वारा कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के प्रतिकार में ऑस्ट्रेलिया से गोमांस आयात को रोक दिया जाना।
- ऐसी सीमाओं के कारण भविष्य की आर्थिक स्थिति बदल सकती है और एक नया वैश्विक मानक स्थापित हो सकता है। हालाँकि विश्व को चीन पर निर्भरता से सावधान रहना होगा।
- परन्तु एक अलग संभावना यह भी है कि चीन आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम होगा। अगर वास्तव में यह संभावना बन जाती है, तो क्या वास्तविक रूप से वैश्वीकरण के पारंपरिक समर्थक नए मानकों को स्वीकार कर सकेंगे।

चुनौतियाँ

- वर्तमान समय में वैश्वीकरण की कई अलग-अलग दृष्टिकोणों के साथ चुनौतियों का सामना करने की स्थिति देखी गई है।
- हाल ही में जी-20 राज्यों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप किसी भी आपातकालीन उपाय को रखने के लिए एक प्रतिबद्धता भी शामिल की थी। वर्तमान में COVID-19, कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनः संगठन पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
- कोविड-19 के कारण व्यापार के 32% नुकसान होने का अनुमान है और वैश्विक जीडीपी में गिरावट का भी अनुमान है। ऐसे परिदृश्य में, विश्व व्यापार संगठन अप्रासंगिक हो सकता, क्योंकि अधिकांश राष्ट्र घरेलू आर्थिक संकटों से निपटने के लिए व्यापार में लचीलेपन की तलाश करेंगे।
- हालाँकि इस बात पर शायद ही कोई संदेह है कि वैश्वीकरण ने बहुत अधिक विश्वास पैदा नहीं किया है क्योंकि इसके कई गुण बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वैश्वीकरण से एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण की उम्मीद की जा रही थी, जो सभी भागीदार देशों को लाभान्वित करेगी। परन्तु यह उम्मीद भी ग्लोबल फिनेंसियल क्राइसिस के साथ टूट गई क्योंकि दुनिया ने अर्थव्यवस्था की मंदी के असर को दूर करने के लिए कई संघर्षों का सामना किया है।

निष्कर्ष

- ILO प्रमुख के अनुसार, वर्ष 2008 के आर्थिक संकट की चुनौतियों से निपटने के लिये विश्व के सभी देश एक साथ खड़े हुए थे, जिससे एक बड़ी आपदा को टाला जा सका था। वर्तमान में हमें इस संकट से निपटने हेतु उसी प्रकार साथ आने की आवश्यकता है।
- साथ ही किसी भी वैश्विक संकट के रूप में यह तय करना होगा कि क्या विदेशी व्यवसायों के खिलाफ प्रतिबंध और भेदभाव किसी समाधान का हिस्सा हो सकते है? क्या वैश्विक सहयोग और नियमों का पालन आखिरकार हर किसी के पारस्परिक लाभ के लिए बेहतर होगा? इन सब प्रश्नों का हल सभी देशों को बैठकर खोजना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. वर्तमान महामारी के दौरान वैश्वीकरण की अवधारणा धुमिल हो रही है। विश्लेषण करें।

06 भारत में आर्थिक बहाली एवं उसका आकार : समय की माँग

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) ने कहा है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त झटका दिया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहेगा। विश्व बैंक ने 'दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 1.5 से 2.8 फीसदी के बीच रहेगी।
- विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे भारत अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था की गति में वृद्धि देखी जा रही है।

प्रमुख बिन्दु

- कोविड-19 का झटका भारत को ऐसे समय में लगा है जब वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से सुस्ती है। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.8 से 5 फीसदी के बीच रहेगी।
- कोविड-19 की वजह से घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 1.5 से 2.8 फीसदी रह जाएगी। वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ने के चलते घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होगी।
- रिपोर्ट कहती है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था पांच फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकेगी। हालांकि, इसके लिए अर्थव्यवस्था को वित्तीय और मौद्रिक नीति के समर्थन की जरूरत होगी।

अन्य एजेंसियां भी घटा चुकी हैं अनुमान

- विश्व बैंक ने भी अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए कोविड-19 के मद्देनजर वृद्धि दर का अनुमान घटाया है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर चार फीसदी किया है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर दो फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 5.5 से 3.6 फीसदी कर दिया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 के कैलेंडर वर्ष में भारत की वृद्धि दर 2.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। पहले उसने इसके 5.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।
- विश्व बैंक की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के आठ देशों की वृद्धि दर इस साल 1.8 से 2.8 फीसदी के बीच रहेगी। छह महीने पहले उसने इसके 6.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।
- हालांकि कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आगामी वित्त वर्ष (2021-22) से अर्थव्यवस्था में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए अर्थशास्त्री आर्थिक बहाली के आदर्श आकार पर बहस कर रहे हैं।

आर्थिक रिकवरी का आकार

- **जेड-आकार की रिकवरी (Z-shaped recovery):** यह सबसे आशावादी परिदृश्य होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि देखी जाती है। Z- प्रकार का चार्ट दर्शाता है कि, हालात के सामान्य होने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है (जैसे, लॉकडाउन हटाए जाने के बाद खरीददारी में वृद्धि इत्यादि)।

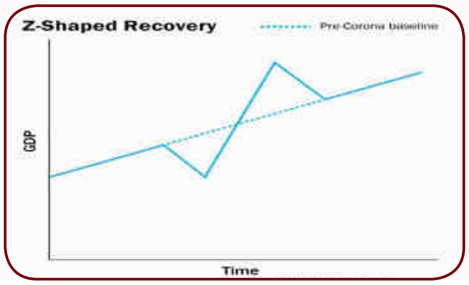

- **V-आकार की रिकवरी (V-shaped recovery):** जेड-आकार की बहाली के बाद अगला सबसे अच्छा परिदृश्य V-आकार की बहाली है जिसमें अर्थव्यवस्था अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करती है और सामान्य विकास की प्रवृत्ति-रेखा पटरी पर वापस आ जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति में आय और रोजगार स्थायी रूप से नहीं खत्म होते हैं और आर्थिक विकास तेजी से ठीक हो जाता है।

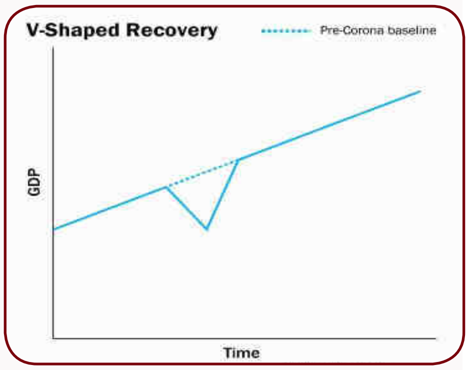

- **U- आकार की रिकवरी (U-shaped recovery):** U-आकार की बहाली में ऐसा परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद भी यह धीरे-धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। इस प्रवृत्ति में लोगों की नौकरियों के ऊपर असर पड़ता है और लोगों की बचत में कमी देखने को मिलता है।

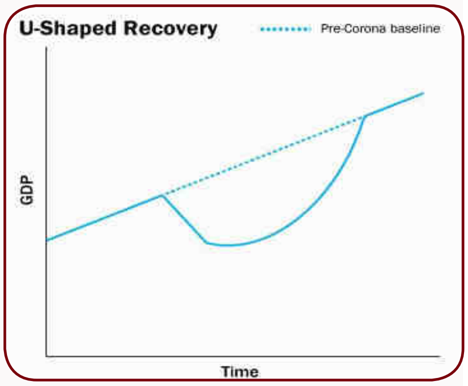

- **W-आकार की रिकवरी (W-shaped recovery):** W-आकार की रिकवरी वाली प्रवृत्ति जोखिम युक्त होती है। इसमें विकास दर में कमी तथा वृद्धि होती है, तथा

उभरने के बाद यह फिर गिरती है और पुनः वृद्धि करती है, इस प्रकार, इसमें डब्ल्यू-आकार का चार्ट बनता है। जानकारों का मानना है कि अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर आती है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

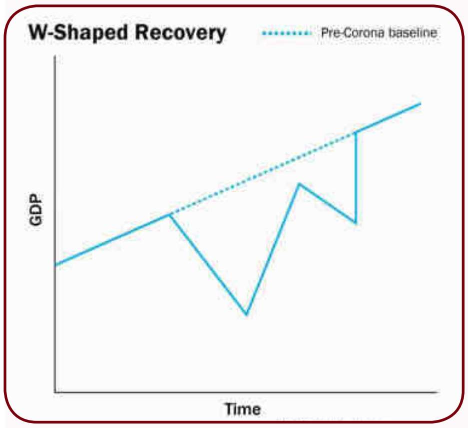

- **L-आकार की रिकवरी (L-shaped recovery):** यह अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद विकास निम्न स्तर पर पहुँच जाता है और यह लंबे समय तक ठीक नहीं हो पता है। इसमें, अर्थव्यवस्था वर्षों के बाद भी वर्तमान जीडीपी के स्तर को हासिल करने में विफल रहती है। L आकार से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में स्थायी नुकसान होता है।

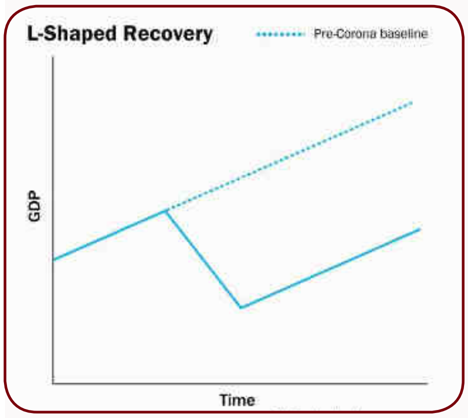

चुनौतियाँ

- COVID-19 के कारण चीन से होने वाले आयात के प्रभावित होने से स्थानीय और बाहरी आपूर्ति शृंखला के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ी हैं। सरकार द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन और सोशल डिसटेंसिंग (Social Distancing) जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है।
- लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती हुई है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की शृंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुनः शुरू करने में कुछ समय लग सकता है।
- उदाहरण के लिये उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है, ऐसे में कंपनियों के लिये पुनः कुशल मजदूरों की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के रूप में देखा जा सकता है।
- खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ा है। जो सेक्टर इस बुरे दौर से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वहीं पर नौकरियों को भी सबसे ज्यादा खतरा होगा।

आगे की राह

- भारत को तात्कालिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है, जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करें बल्कि समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हों।
- भारत को सबसे पहले कोरोना महामारी को और फैलने से रोकना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिल सके। इसके अलावा भारत को विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके साथ ही भारत को लघु एवं मझोले उपक्रमों को दिवालिया होने से बचाना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 का झटका भारत को ऐसे समय में लगा है जब वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से ही सुस्ती है। चर्चा कीजिये।

07 महामारी के दौर में मानव केंद्रित विकास मॉडल

चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus pandemic) के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को गृह राज्य में वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्किल मैपिंग से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के अनुसार वह नहीं चाहते हैं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के नागरिक पलायन करें।
- इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि वह पड़ोसी राज्यों (हरियाणा, मध्य प्रदेश, इत्यादि) के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जो कि नौकरियों को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को एक अच्छी योजना की जरूरत है। इस मामले में जानकारों का मानना है कि राज्य सरकारों को आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कुछ सबक लेना चाहिये, जिन्होंने मानव-केंद्रित विकास मॉडल पर बल दिया था।

परिचय

- प्रत्येक हाथ को काम हर परिवार को रोजगार देने के मिशन के तहत राज्य सरकारों ने कामगारों से जुड़ी नीतियों और नियमों में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया है। जानकारों का मानना है कि समाज की कमजोर कड़ी का जितना विकास होगा वही वास्तविक विकास है, इसे मानव केन्द्रित विकास कहा जा सकता है।

सिंगापुर के विकास से सबक

- मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच 707 वर्ग किलोमीटर में फैला सिंगापुर एक छोटा सा देश है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आधुनिक सिंगापुर के जनक कहे जाने वाले और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने एक छोटे से बंदरगाह को दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी केंद्रों में शुमार करा दिया। जानकार मानते हैं कि उस दौर में जब सिंगापुर मलेरिया की बीमारी के लिए बदनाम था, ये ली ही थे जिन्होंने इस छोटे से मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब देश के तौर पर स्थापित किया।

- ली ने देश में कारोबार की बेहतरीन परिस्थितियां बनाने के लिए विपक्षियों और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण रखा। गौरतलब है कि सिंगापुर के पास तेल या खनिज जैसे कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, जिसे वह अपने पश्चिम के देशों को बेच सकता था। साथ ही सिंगापुर के पास न तो खेती योग्य जमीन थी और न ही खनिज संपदा। ज्यादातर जनसंख्या भी झुग्गी बस्तियों में रहा करती थी।
- वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमरीकी डॉलर थी और करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी। लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 15 गुना की वृद्धि करने जैसा कीर्तिमान बनाया है।
- यही नहीं, भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए सिंगापुर में ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखी गई। सिंगापुर में शानदार सड़कें और हाइवे निर्माण पर जोर दिया गया जिससे आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त ली कुआन यी की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया। ली ने अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियों को सिंगापुर में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। आसियान देशों में कम लागत वाले श्रम के बड़े पूल से कंपनियां आकर्षित हुईं। इन देशों में, सिंगापुर अपने स्थान के लिए सबसे आकर्षक था। ली चाहते थे कि सिंगापुर में मजदूरी बढ़े, ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। इसलिए, वह चाहते थे कि कंपनियां सिंगापुर के लोगों को उच्च मूल्य वाले काम करने के लिए प्रशिक्षित करें।

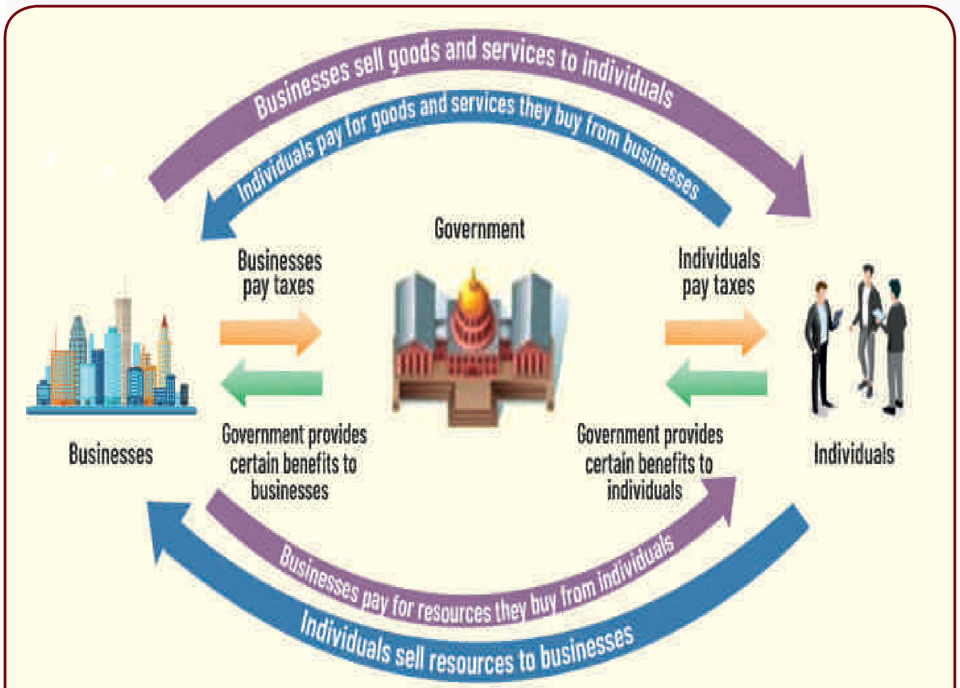

The Gandhian economic model

- सिंगापुर की सूरत बदलने में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी एक बड़ा योगदान है। ये देश मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है जहां से दुनिया का 40 फीसदी समुद्री व्यापार होकर गुजरता है जिससे इस देश को भारी कमाई होती है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं।

गांधीवादी अर्थशास्त्र

- उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सिंगापुर की तुलना में अधिक जटिल हैं। सिंगापुर लगभग 6 मिलियन नागरिकों वाला एक शहर है, जबकि 200 मिलियन से अधिक की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में दर्जनों शहर और हजारों गाँव हैं। प्रवासी भारत के शहरों से गांवों में वापस लौट रहे हैं और वे एक ऐसी दुनिया में लौट रहे हैं जिसे गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे।
- गांधी जी ने कहा था कि जब तक भारत के गांवों में लोगों को आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक, भारत स्वतंत्र देश नहीं हो सकता। यह उनका गरीबों का स्वराज का सपना था। उसके लिए, अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता रास्ते में महज एक कदम थी।
- गांधीवादी अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना पर आधारित है जिसमे "वर्ग" का कोई स्थान नही है; लेकिन इस तरह का गांधीवाद, मार्क्सवाद से भिन्न है। गाँधी का अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नही करता है। अर्थात गांधीवादी अर्थशास्त्र; सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है।
- गाँधी जी का अर्थशास्त्र छोटे और श्रम प्रधान उद्योगों के पक्ष में है। गाँधी जी बड़ी-बड़ी मशीनों के विरोधी थे; हालाँकि यह बात वर्तमान समय में थोड़ी कम सार्थक है। उनका मानना था कि एक निर्जीव मशीन कई मनुष्यों का काम करती है जिसके कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ती है। गाँधी जी मानते थे कि यदि व्यक्ति को कम संसाधनों के साथ रहने की आदत पड़ जाये तो व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी 'कुछ कम नही पड़ता है'। वे मानते थे कि आवश्यकताएं मृग तृष्णा जैसी होतीं हैं और आवश्यकताओं को जितना बढ़ाया जाए उतनी ही बढ़ती जातीं हैं। उत्पादन का लक्ष्य समाज की आवश्यकता की पूर्ती होना चाहिए ना कि लाभ कमाना। गाँधी जी पूँजीवाद को पूर्णतया नष्ट नहीं करना चाहते थे बल्कि वे उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे।

आगे की राह

- निवेशकों की तुलना में सरकारों को अपने नागरिकों और श्रमिकों की बात सुननी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्हें केवल उन निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो नागरिकों और श्रमिकों की देखभाल कर सकते हैं। सरकारों को सलाह देने वाले अर्थशास्त्रियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मनुष्य निवेशकों के लिए रिटर्न बनाने के लिए उपकरण नहीं हैं; बल्कि, पैसा इंसानों के लिए लाभ पैदा करने का एक उपकरण है।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन।

प्र. ऐसे कौन से विकास के मॉडल होने चाहिए जिससे समाज में व्याप्त बेरोजगारी और गरीबी को कम किया जा सकता है? उल्लेख करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 सीमा समायोजन कर

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में 'नीति आयोग' के सदस्य वी.के. सारस्वत द्वारा घरेलू उद्योगों को एक समान स्तर प्रदान करने के लिये आयात पर 'सीमा समायोजन कर' (Border Adjustment Tax-BAT) लगाने का समर्थन किया गया है।

2. समर्थन का कारण

- सीमा समायोजन कर लगाने का सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के मध्य चल रहे व्यापार तनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। विशेषज्ञों द्वारा यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह व्यापार तनाव COVID-19 महामारी के बाद भी जारी रह सकता है।
- इसके अलावा भारतीय उद्योगों द्वारा हमेशा घरेलू सामानों पर बिजली शुल्क, मंडी कर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और रॉयल्टी जैसे विभिन्न करों के बारे में शिकायतें की जाती रही हैं जो घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर वसूल किये जाते हैं क्योंकि ये कर उत्पाद में अंतर्निहित होते हैं।
- परन्तु, कई प्रकार के आयातित सामान अपने संबंधित देश में इस तरह की लेवी के साथ लोड नहीं किये जाते हैं जिससे भारतीय बाजार में ऐसे उत्पादों को मूल्य लाभ मिलता है।

3. क्या है सीमा समायोजन कर

- 'सीमा समायोजन कर' से तात्पर्य ऐसे कर से है जो बंदरगाहों पर आरोपित आयात शुल्क के अलावा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर आरोपित नहीं किया जायेगा।
- सीमा समायोजन कर एक राजकोषीय उपाय है जिसे 'कर के गंतव्य सिद्धांत' (Destination Principle of Taxation) के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाता है।
- सामान्यत: यह कर अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति करने वाली विदेशी और घरेलू कंपनियों के लिये 'प्रतिस्पर्धा की समान स्थिति' (Equal Conditions of Competition) को बढ़ावा देता है।

4. विश्व व्यापार संगठन के अनुसार करों का समायोजन

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों एवं मुख्य शर्तों के तहत कुछ विशेष प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति है। ये शर्तें इस प्रकार हैं-
  - आयात किये जाने वाले घरेलू उत्पाद के समान पर भी कर लागू होना चाहिये।
  - कर उत्पाद पर लिया जाना चाहिये और यह 'प्रत्यक्ष' नहीं होना चाहिये।
  - 'अनुमत सीमा कर समायोजन' को निर्यात पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिये।

5. प्रभाव

- बड़े पैमाने पर आयात कम होने और निर्यात बढ़ने के साथ, एक देश अपने व्यापार घाटे में कटौती कर सकता है।
- विदित हो कि यदि कोई देश कई अन्य विकासशील देशों के लिये एक प्रमुख निर्यात बाजार है, तो कर योजना के कार्यान्वयन के कारण उन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

02 घोषित विदेशी और विदेशी अधिकरण

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये आदेश के बाद से असम के बराक घाटी में निरोध केंद्र से लाभार्थी के रूप में रिहा होने वाले सिद्दकी अली अंतिम घोषित विदेशी बन गए हैं।

2. वर्तमान स्थिति

- इस साल अप्रैल में कोविड-19 महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने उन बंदियों को रिहा करने का निर्देश दिया था जिन्हें विदेशी घोषित किया गया था और दो साल या उससे अधिक समय से असम के हिरासत केंद्रों में रखा गया था।
- इसके लिए कोर्ट ने व्यक्तिगत बॉन्ड राशि को भी 1 लाख रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया था। 13 अप्रैल से अब तक 339 घोषित विदेशियों को निरोध केंद्रों से मुक्त किया जा चुका है।

3. घोषित विदेशी

- घोषित विदेशी (Declared foreigner), के रूप में उस व्यक्ति को चिह्नित किया जाता है जिसे 100 विदेशी अधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) में से किसी एक द्वारा पहचान की गई हो, जो राज्य पुलिस की बॉर्डर विंग द्वारा अवैध नागरिक के रूप में चिह्नित करने के बाद अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहता है।

4. घोषित विदेशियों की स्थिति

- गौरतलब है कि असम के विभिन्न निरोध केंद्रों में कुल 802 घोषित विदेशी हैं।
- कुछ लोगों को खराब दस्तावेज या खराब कानूनी सहायता और संसाधनों की कमी के कारण विदेशी घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वे साबित करने में सक्षम नहीं होते हैं कि वे भारतीय नागरिक हैं।
- इनमें से कुछ उच्च न्यायालयों में अपने मामलों को आगे बढ़ाने हेतु समर्थ नहीं होते है या उनकी अपीलों को ठुकरा दिया गया है।
- 2016के बाद से विभिन्न बीमारियों के कारण 29 घोषित विदेशियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से दस की मौत मार्च, 2019 और फरवरी 2020 के बीच हुई है।

5. विदेशी ट्रिब्यूनल क्या है?

- विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को केंद्र सरकार ने विदेशी अधिकरण अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी किया था। इस आदेश में प्रमुख रूप से साल 2013 में संशोधन किये गए।
- असम में वर्तमान में 100 विदेशी अधिकरण हैं,इसके अलावा 200 से अधिक विदेशी अधिकरणों को बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।

6. विदेशी अधिकरण की सदस्यता

- उसे असम न्यायिक सेवा का सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए
- इसके अलावा न्यायिक अनुभव रखने वाला सिविल सेवक जो सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे सेवानिवृत्त नहीं हुआ हो या फिर
- प्रैक्टिस करता हुआ एक वकील जिसकी उम्र 35 (पैंतीस)वर्ष से कम न हो और जिसे कम से कम सात वर्ष के अभ्यास का अनुभव हो।
- इसके अलावा उसे असम (असमिया, बंगाली, बोडो और अंग्रेजी) की आधिकारिक भाषाओं की अच्छी समझ भी होनी चाहिए।
- इसके अलावा विदेशी मामलों का भी अनुभव होना चाहिए।

- वे लोग जिनका नाम नागरिकता रजिस्टर में नहीं है वे इन अधिकरणों में संपर्क कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो इसके खिलाफ आगे अपील कर सकता है।
- व्यक्ति की नागरिकता एक बुनियादी मानवाधिकार है। न्यायिक रूप से अपनी पहचान को सत्यापित किये बिना जल्दबाजी में लोगों को विदेशी घोषित करना बहुत से नागरिकों को राज्यविहीन (Stateless) कर देगा, अत: जो लोग सूची में शामिल नहीं हो पाते हैं उन्हें पर्याप्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिये।

03 जुनेथिन्थ महोत्सव

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अपनी संस्कृति के लिए निरंतर आत्म-विकास और सम्मान को प्रोत्साहित करते हुए, अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय ने अपनी स्वतन्त्रता का 155 वाँ वर्ष मनाया। इसे जुनेथिन्थ कहा जाता है क्योंकि मूल रूप से यह जून और उन्नीसवीं(नाइथिन्थ) का एक संयोजन है और उस तारीख को चिह्नित करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी के अंत का प्रतीक है।

2. पृष्ठभूमि

- लगभग तीन साल चले अमेरिकी गृह युद्ध में राष्ट्रपति इब्राहीम लिंकन ने स्वतंत्रता की उद्घोषणा जारी की, जिसमें बताया गया कि विद्रोही राज्यों के भीतर गुलाम के रूप में पकड़े सभी लोगों को मानवता के नाते स्वतंत्र कर दिया जायेगा और दासता से मुक्ति दे दी जायेगी, उस समय कुछ चार लाख गुलाम पकड़े गये थे।
- परन्तु ,वास्तविकता में दासता समाप्त होने में वर्षों लग गए। यह उद्घोषणा उन सीमावर्ती राज्यों पर लागू नहीं होती थी जो संघ के प्रति वफादार थे। बाद में, युद्ध समाप्ति की घोषणा के दो साल और ढाई महीने बाद टेक्सास में मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर के नेतृत्व में सैनिकों ने 19 जून 1865 को स्वतंत्रता की उद्घोषणा की।

3. जुनेथिन्थ का महत्व

- जुनेथिन्थ एक राष्ट्रीय अवकाश का दिन नहीं है फिर भी कई राज्यों और कोलंबिया ने इस दिन को छुट्टी के रूप में मान्यता देने के लिए कानून पारित किया है,1 जनवरी, 1980 को टेक्सास राज्य छुट्टी के रूप में जुनेथ को मान्यता देने वाला पहला राज्य था।
- अतीत में, अटलांटा सहित अनेक शहरों में छुट्टी के उपलक्ष्य में परेड, उत्सव और मंच आयोजित किए जाते थे। परंतु कोरोनोवायरस महामारी के कारण, उन समारोहों में से कई को रद्द कर दिया गया है।
- फिर भी, कई लोगों ने जुनेथिंथ के सम्मान में अवकाश को मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है।

4. अमेरिकी नस्लवादी हिंसा के दौरान जुनेथिन्थ महोत्सव

- कई अमेरिकी कंपनियों ने अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मद्देनजर घोषणा की है कि इस साल वे कंपनी की अधिकारिक छुट्टी के रूप में जुनेथिन्थ को नामित कर रहे हैं।
- इसके अलावा वोक्स, ट्विटर और स्क्वायर जैसी संस्थाओं द्वारा भी, उनके अश्वेत कर्मचारियों और अश्वेत समुदाय के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, एक कार्पोरेटिव प्रयास किया गया है।
- गौरतलब है कि बीते कुछ महीनो पहले श्वेत पुलिस कर्मियों द्वारा मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड, और अटलांटा में रेशर्ड रूक्स की हत्या के विरोध में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा प्रदर्शन जारी रहने के कारण, कानून में कई बदलाव कर विरोध को दबाने की कोशिश की गयी थी। बाद में इस कार्रवाई की अपमानजनक और नस्लवादी होने के कारण आलोचना भी हुई।
- परिणामस्वरूप, इस साल जून में इस स्वतंत्रता महोत्सव को भी काफी महत्व मिला और 1865 में अश्वेत लोगों पर हुए अत्याचार और गुलामी से मिली स्वतंत्रता को लोगों ने याद किया।

04 RMIFC और EMASOH

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में पर्यवेक्षक के रूप में हिंद महासागर आयोग (आईओसी) में शामिल होने के बाद, भारत मेडागास्कर में क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र (Regional Maritime Information Fusion Centre& RMIFC) तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में यूरोपीय समुद्री निगरानी पहल (EMASOH) में नौसेना संपर्क अधिकारियों को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- RMFIC हिन्द महासागर आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। ज्ञातव्य है कि भारत, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र को मार्च, 2020 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका मुख्यालय मेडागास्कर में स्थित है।
- क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों पर निगरानी के माध्यम से समुद्री अधिकार-क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) में वृद्धि करना तथा सूचना साझाकरण एंव विनिमय को प्रोत्साहन देना है।

3. यूरोपीय समुद्री निगरानी पहल (EMASOH)

- बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और फ्रांस के संयुक्त पहल से EMASOH का मुख्यालय अबू धाबी में फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर स्थापित किया गया है।
- इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य समुद्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करना तथा फारस की खाड़ी एवं होर्मुज जलडमरूमध्य में नौपरिवहन की स्वतंत्रता का दायित्व लेना है। इस पहल की शुरूआत फ्रांस के नेतृत्व में फरवरी, 2020 में किया गया।

4. हिंद महासागर आयोग

- आईओसी दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें पांच राष्ट्र शामिल हैं - कोमोरोस, फ्रांस (रीयूनियन), मेडागास्कर, मॉरीशस और सेशेल्स। चीन और यूरोपीय संघ (ईयू) क्रमशः 2016 और 2017 के बाद से आईओसी में पर्यवेक्षक रहे हैं।
- हिंद महासागर आयोग की स्थापना वर्ष 1982 में मॉरीशस के पोर्ट लुई में की गयी थी। इसका मुख्यालय एबेने मॉरीशस में अवस्थित है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है।

5. हिंद महासागर क्षेत्र हेतु सूचना संलयन केंद्र

- भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2018 में गुरुग्राम में सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) के परिसर में IFC-IOR की स्थापना की ताकि क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
- फ्रांस IFC-IOR में एक Liaison अधिकारी तैनात करने वाला पहला देश बन गया, जिसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित कई अन्य देशों ने नौ सेना संपर्क अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की।
- भारत ने कई देशों के साथ श्वेत शिपिंग समझौतों, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट (एलएसए) और समुद्री सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उदाहरण के लिए, वर्चुअल समिट में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक में समुद्री सहयोग के लिए एक साझा विजन पर एक संयुक्त घोषणा की, जिसमें उन्होंने "नौसेना-से-नौसेना सहयोग को गहरा करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री अधिकार-क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) को मजबूत करने" पर सहमति व्यक्त की।
- आईएफसी-आईओआर दुनिया भर में इसी तरह के केंद्रों के साथ समन्वय कर रहा है। इनमें -आभासी क्षेत्रीय समुद्री यातायात केंद्र, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का समुद्री सुरक्षा केंद्र ,समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता, सूचना संलयन केंद्र- सिंगापुर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो-पाइरेसी रिपोर्टिंग केंद्र शामिल हैं।

05 विदेशी प्रजातियों के आयात हेतु दिशा-निर्देश

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि "विदेशी जीवित प्रजातियों" का आयात करने वाले लोगों को स्वैच्छिक प्रकटीकरण करना होगा।
- यह कदम कोरोनो वायरस (COVID-19) के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है, जिसने अवैध वन्यजीव व्यापार और जूनोटिक संबंधी बीमारियों के बारे में वैश्विक चिंता पैदा की है।

2. आवश्यकता क्यों ?

- देश के बहुत से नागरिकों ने सीआईटीईएस (संकटग्रस्त प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन) को अपने पास रखा है, जिसमें विदेशी पशु प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन राज्य/केंद्र स्तर पर ऐसी प्रजातियों के स्टॉक से सम्बंधित कोई एकीकृत सूचना प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- कई विदेशी प्रजातियां जैसे-पक्षी, सरीसृप, छोटे स्तनधारी, मछलियां और यहां तक कि कुछ पौधे भी भारत में आयात किए जाते हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले छह महीनों में स्वैच्छिक जानकारी देने के माध्यम से ऐसी प्रजातियों के धारकों से स्टॉक जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।
- गौरतलब है कि राज्य अथवा केंद्रीय स्तर पर विदेशी प्रजातियों से संबंधित कोई एकीकृत सूचना प्रणाली उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, देखा गया है कि दस्तावेजों की लंबी प्रक्रिया तथा जांच से बचने के लिए विदेशी प्रजातियों को देश में अवैध रूप से तस्करी की जाती है।

3. प्रमुख दिशा-निर्देश

- पंजीकरण, पशुओं व नए शावकों के स्टॉक साथ-साथ आयात और विनिमय के लिए किया जाएगा। इससे प्रजातियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी और यह धारकों को उचित पशु चिकित्सा देखभाल, आवास और प्रजातियों की भलाई के अन्य पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन करेगा।
- विदेशी पशुओं के डेटाबेस से पशु-रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन में मदद मिलेगी। जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध होगा।
- घोषणाकर्ता को विदेशी जीवित प्रजातियों के संबंध में किसी भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि परामर्श जारी करने की तारीख के छह महीने के भीतर घोषणा की जाती है। 6 महीने के बाद की गई किसी भी घोषणा के लिए, घोषणाकर्ता को मौजूदा कानूनों और नियमों के तहत दस्तावेज की आवश्यकता के नियम का पालन करना होगा।
- किसी भी विदेशी जानवर का आयात करने से पूर्व व्यक्ति को DGFT से लाइसेंस प्राप्ति के लिये एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।आयातक को आवेदन के साथ संबंधित राज्य के 'मुख्य वन्यजीव वार्डन' को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) भी संलग्न करना होगा।

4. विदेशी (एक्सोटिक) प्रजातियां

- विदेशी (एक्सोटिक) प्रजातियां, पशु या पौधों की उन प्रजातियों को कहा जाता है, जिन्हें अपने मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाया जाता है।
- विदेशी प्रजातियां' (Exotic live species) के अंतर्गत 'वन्यजीवों तथा वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (CITES) की परिशिष्ट I. (कोई व्यापार नहीं होता है), II. (व्यापार पूर्व अनुमति से हो सकता है) तथा III. (में बड़ी संख्या में पशु और पक्षी हैं जिनका व्यापार किया जा सकता है।) में अधिसूचित लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है, परन्तु 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित प्रजातियों को शामिल नहीं किया गया है।

06 सिक्किम–तिब्बत कन्वेंशन, 1890

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सिक्किम के नाकु ला में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control - LAC) पर चीन और भारत के सैनिकों के मध्य बढ़ते गतिरोध के तीस्ता ने वर्ष 1890 के ऐतिहासिक सिक्किम-तिब्बत संधि (Sikkim-Tibet Convention of 1890) पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।
- जानकारों का मानना है कि वर्ष 1890 के सिक्किम-तिब्बत संधि के अनुसार, नाकु-ला क्षेत्र भारत का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1975 में सिक्किम का भारत में विलय से पहले ही चीन ने आधिकारिक रूप से इस सीमांकन को कर लिया था।

2. प्रमुख बिन्दु

- नाकु ला क्षेत्र में सीमा का निर्धारण वाटरशेड प्रिंसिपल्स के आधार पर किया गया है। इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सिक्किम और तिब्बत की सीमा, सिक्किम के तीस्ता में बहने वाले पानी और इसके तिब्बती मोचू और उत्तर में तिब्बत की अन्य नदियों में बहने वाले पानी को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला होगी।
- यह जल विभाजन वहां से नेपाल की सीमा तक आता है। 1894 में गैजेटियर ऑफ सिक्किम में सिक्किम की भौतिक विशेषताओं के साथ ही उस सीमा का भी उल्लेख किया है जो नाकु ला-चोर्टेन न्यिमा ला के साथ चलती है।
- इसकी भौगोलीय बनावट ऐसी है कि इसे बड़ी आसानी से देखा और पहचाना जा सकता था। इसके साथ ही गूगल इमेज पर मौजूद तस्वीरों में भी नाकु ला को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में पानी को अलग करने वाली रेखा बहुत स्पष्ट थी।
- कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा की अस्पष्ट आधिकारिक स्थिति के कारण चीन सिक्किम में भी मोर्चा खोल सकता है।
- रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा के सिक्किम-तिब्बत खंड पर 1890 के एंग्लो-चाइनीज कंवेंशन के मुताबिक सुलह हो चुकी है और 1895 में ही इसके सीमा का निर्धारण हो चुका है।

3. अनुच्छेद 2

- दूसरे अनुच्छेद में सिक्किम पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण पर सहमति बनी। इसमें कहा गया ,"यह माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार, जिसकी सिक्किम राज्य पर सत्ता यहाँ स्वीकार की जाती है, का राज्य के आंतरिक प्रशासन और विदेशी सम्बन्धों पर प्रत्यक्ष और एकाधिकार नियंत्रण होगा, और ब्रिटिश सरकार की इजाजत के बिना, राज्य का कोई शासक, न ही उसका कोई अधिकारी किसी और देश के साथ, औपचारिक या अनौपचारिक रिश्ते नहीं रखेगा।

4. वर्ष 1904 की संधि

- वर्ष 1904 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य एक समझौते के रूप में एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस संधि के अनुसार, तिब्बत ने वर्ष 1890 के संधि का सम्मान करने और सिक्किम एवं तिब्बत के मध्य सीमा को मान्यता देने के लिए सहमति प्रकट किया जैसा कि उपर्युक्त संधि के अनुच्छेद (1) में परिभाषित किया गया है।

5. वर्ष 1906 की संधि

- 27 अप्रैल, 1906 को चीन में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसने ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच वर्ष 1904 में हुए अभिसमय की पुष्टि की थी।

6. विवाद के बिन्दु

- चीन और आजादी के बाद भारत ने इस संधि और सेमांकन का पालन किया । ऐसे स्थिति तब तक चलती रही जब तक 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य नहीं बन गया ।हालांकि चीन का भूटान से सीमा विवाद और वहाँ से भारत के अच्छे रिश्तों ने हालिया तनाव पैदा करने में भूमिका निभाई है।

07 सूर्य ग्रहण एवं उसका महत्व

1. चर्चा का कारण

- 21 जून, 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) दिखाई दिया, जो खगोलीय विज्ञान में महत्वपूर्ण घटना है। गौरतलब है कि 25 साल बाद ये पहला मौका है जब सूर्य वलायाकार यानी अंगूठी की तरह दिखा, इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था।
- खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मार्च, 2034 को देखा जाएगा।

2. ग्रहण क्या है

- ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पडती है, तब ग्रहण होता है। ग्रहण शब्द का उपयोग प्रायः सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण का विवरण करने में होता है।
- जितने भी ग्रहण होते हैं, उनमें से 70 % सूक्ष्म ग्रहण तथा 30% स्थूल ग्रहण होते हैं। मानव केवल 30% भौतिक ग्रहणों को ही समझ पाता है। इस प्रकार मानव सूक्ष्म ग्रहणों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है।

3. सूर्य ग्रहण क्या है?

- भौतिक विज्ञान के अनुसार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिम्ब कुछ समय के लिए ढक जाता है, उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
- गौरतलब है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी की इसी प्रक्रिया के दौरान कभी कभी चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे वह सूर्य की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना अमावस्या को ही होती है।
- सूर्य ग्रहण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं- आंशिक सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse), वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) तथा पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse)।

4. सूर्य ग्रहण का महत्व

- सौर कोरोना की संरचना को लेकर वैज्ञानिकों के बीच अलग-अलग धारणाएं प्रचलित हैं क्योंकि सूर्य के तीव्र चमक के चलते इसका अध्ययन बेहतर तरीके से करना संभव नहीं है। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोना का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है।
- सूर्य के आस-पास के वातावरण में सौर तूफान और सौर चमक जैसी बहुत-सी हलचलें होती रहती हैं, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों के संचालन, टेलीकम्युनिकेशन्स, जीपीएस नेविगेशन नेटवर्क और इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं को समझना काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी समेत सौर प्रणाली के शेष सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं।

5. सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियाँ

- सूर्य ग्रहण के दौरान सोलर रेडियेशन से आँखों के नाजुक टिशू खराब हो सकते हैं, जिससे स्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है। इसे जिसे सोलर रेटिनोपैथी (Solar Retinopathy) कहते हैं। सूर्य ग्रहण को खास फिल्टर वाले चश्मों से देखने की सलाह दी जाती है जिन्हे आइक्लिप्स ग्लासेस कहा जाता है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 सीमा समायोजन कर

प्र. सीमा समायोजन कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सीमा समायोजन कर से तात्पर्य ऐसे कर से है, जो बंदगाहों पर आरोपित आयात शुल्क के अलावा आयतित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
2. सीमा सामायोजन कर एक राजकोषीय उपाय है जिसे कर के गंतव्य सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः सीमा समायोजन कर से तात्पर्य ऐसे कर से है, जो बंदरगाहों पर आरोपित आयात शुल्क के अलावा आयतित वस्तुओं पर लगाया जाता है। सीमा समायोजन कर एक राजकोषीय उपाय है जिसे कर के गंतव्य सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। इस तरह दोनों कथन सही है, इसलिए उत्तर (c) होगा।

02 घोषित विदेशी और विदेशी अधिकरण

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. असम में 100 विदेशी अधिकरण में से किसी एक द्वारा उस व्यक्ति को घोषित विदेशी के रूप में चिन्हित किया जाता है जो अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहता है।
2. विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को केन्द्र सरकार ने विदेशी अधिकरण अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी किया था।
3. विदेशी अधिकरण का सदस्य उसे नियुक्त किया जाता हैं, जिसकी उम्र 25 वर्ष हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः असम में वैसे व्यक्ति को घोषित विदेशी के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे 100 विदेशी अधिकरणों में से किसी एक द्वारा उस व्यक्ति की पहचान की जाती है, जो अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहता है। विदेशी अधिकरण का सदस्य उसे नियुक्त किया जाता है जिसकी उम्र 35 वर्ष हो तथा जिसे कम से कम सात वर्ष के अभ्यास का अनुभव हो। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

03 जुनेथिन्थ महोत्सव

प्र. जुनेथिन्थ महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 1990 में टेक्सास राज्य छुट्टी के रूप में जुनेथ को मान्यता देने वाला पहला राज्य था।
2. इस वर्ष अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय अपनी स्वतंत्रता का 161वाँ वर्ष मना रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः वर्ष 1980 में टेक्सास राज्य छुट्टी के रूप में जुनेथ को मान्यता देने वाला पहला राज्य था। इस वर्ष अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय ने अपनी स्वतंत्रता का 155वाँ वर्ष मना रहा है। इस तरह दोनों कथन गलत हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

04 RMIFC और EMASOH

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केन्द्र (RMFIC) हिन्द महासागर आयोग के अंतर्गत कार्य करता है।
2. यूरोपीय समुद्री निगरानी पहल (EMASOH) का प्रमुख उद्देश्य समुद्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करना है।
3. हिंद महासागर आयोग की स्थापना वर्ष 1982 में मॉरीशस के पोर्ट लुई में की गयी थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केन्द्र हिन्द महासागर आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। यूरोपीय समुद्री निगरानी पहल का प्रमुख उद्देश्य समुद्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करना है। हिन्द महासागर आयोग की स्थापना वर्ष 1982 में मॉरीशस के पोर्ट लुई में की गयी थी। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

05 विदेशी प्रजातियों के आयात हेतु दिशा-निर्देश

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विदेशी प्रजातियाँ पशु या पौधों की उन प्रजातियों को कहा जाता है, जो अपने मूल स्थान को छोड़कर नये स्थान पर जाते हैं।
2. विदेशी प्रजातियों को वन्यजीवों तथा वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन में अधिसूचित लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है।
3. विदेशी अधिसूचित प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 व 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः विदेशी प्रजातियों को वन्यजीवों तथा वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन में अधिसूचित लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है। विदेशी अधिसूचित प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत शामिल नहीं किया गया है। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

06 सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन, 1890

प्र. सिक्किम-तिब्बत कन्वेंशन 1890 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नाथुला क्षेत्र में सीमा का निर्धारण वाटरशेड प्रिंसिपल्स के आधार पर किया गया है।
2. वर्ष 1890 के सिक्किम-तिब्बत संधि के अनुसार, नाथुला क्षेत्र भारत का हिस्सा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1 न हीं 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में सिक्किम के नाथुला में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के सैनिकों के मध्य बढ़ते गतिरोध ने वर्ष 1890 के ऐतिहासिक सिक्किम-तिब्बत संधि पर प्रश्न-चिन्ह खड़ा किया है। इस संदर्भ में उपुर्यक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

07 सूर्य ग्रहण एवं उसका महत्व

प्र. हाल ही में चर्चित सूर्य ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सूर्य ग्रहण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।
2. जब पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तो इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
3. जितने भी ग्रहण होते हैं, उनमें से 70% सूक्ष्म तथा 30% स्थूल ग्रहण होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः 21 जून, 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दिया जो खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण घटना है। ज्ञातव्य है कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चन्द्रमा आ जाता है तो उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अतः कथन 2 गलत है। इस संदर्भ में शेष दोनों कथन सही हैं। उत्तर (b) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 लॉकडाउन के दौरान ओजोन प्रदूषण में हुआ भारी इजाफा

- हाल ही मे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने देश के 22 बड़े शहरों में प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया है कि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में ओजोन प्रदूषण मानक स्तर से अधिक रहा है।
- सीएसई ने ये विश्लेषण 1 जनवरी से 31 मई 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर जारी किया है। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हासिल किए गए थे। आंकड़ों के विश्लेषण से ये बात सामने आई है कि जब लॉकडाउन के कारण शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और नाइट्रोजन डाई-आक्साइड का स्तर जब काफी कम हो गया था, तब ओजोन प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया, जबकि ओजोन प्रदूषण तब हुआ करता है, जब तेज धूप और गर्मी का मौसम हो।
- रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटों में से अगर 8 घंटों का औसत देखें, तो दिल्ली-एनसीआर और अहमदाबाद में कम से कम एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन में लॉकडाउन अवधि के दो तिहाई वक्त में ओजोन प्रदूषण मानक से अधिक रहा। वहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में 12 दिनों तक ओजोन प्रदूषण मानक से अधिक रहा और एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन पर 42 दिनों तक प्रदूषण मानक से ज्यादा दर्ज किया गया। इसी तरह कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों में ओजोन प्रदूषण तयशुदा मानक से अधिक रहा।

ओजोन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक

- गर्मी के मौसम में स्थिर रहती है जबकि अन्य मौसमों में अत्यधिक परिवर्तनशील रहता है। कोविड-19 के समय में मौसम में अत्यधिक बदलाव देखा गया है जैसे-तेज हवाएँ, रूक-रूककर बारिश, अचानक बढ़ता तापमान आदि। इससे ओजोन प्रदूषण को बढ़ने में मदद मिली है।

ओजोन क्या है?

- ओजोन ऑक्सीजन का एक प्रकार है। लेकिन ऑक्सीजन के विपरीत, ओजोन एक विषैली गैस है। प्रत्येक ओजोन का मॉलेक्यूल तीन ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है इसलिए इसका सूत्र O_3 है। ओजोन तब बनती है जब पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन मॉलेक्यूल्स को ऊपरी वातावरण में बनाती है। यदि एक मुक्त ऑक्सीजन का अणु किसी ऑक्सीजन मॉलेक्यूल में जाता है तब ये तीन ऑक्सीजन अणु मिलकर ओजोन अथवा (O_3) बनाते हैं।
- **ओजोन प्रदूषण क्या है:** हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब तीखी धूप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। साथ ही वाहनों और कारखानों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी इसका कारण है।
- विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (रिसर्च एंड एडवोकेसी) अनुमिता राय चौधरी के मुताबिक, "ओजोन प्रदूषण का बढ़ना बेहद गंभीर मसला है। इसकी रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम में त्वरित बदलाव की आवश्यकता है।

02 युक्ति 2.0

- हाल ही मे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया है। युक्ति 2.0 वेब पोर्टल युक्ति 1 (पहले संस्करण) का एक तार्किक विस्तार है। YUKTI का मतलब है Young India combating COVID with Knowledge, Technology, and Innovation। उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए YUKTI पोर्टल लॉन्च किया गया।

युक्ति 2.0

- युक्ति 2.0 पोर्टल नई दिल्ली के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है। इस पोर्टल के माध्यम से व्यावसायिक क्षमता रखने वाले स्टार्टअप इनक्यूबेटरों से समग्र और व्यापक तरीके से प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया जाएगा।
- यह पोर्टल एक मार्केटप्लेस स्थापित करने में मदद करेगा जहां इन युवा नवप्रवर्तकों को निवेशकों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थानों के नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन को पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

- आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए, युवा विचार को उद्यमों में बदलने के लिए YUKTI जैसी पहल आवश्यक है।
- इसका उद्देश्य छात्रों, संकाय, हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों और उनके संबंधित इनक्यूबेटरों द्वारा बनाए गए विभिन्न तकनीकों, उत्पादों, नवाचारों और स्टार्टअप्स सूचनाओं का भंडार बनाकर राष्ट्रीय नवाचार और प्रौद्योगिकी डेटाबेस तैयार करना है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी संस्थाएं दो तरफा-संचार माध्यम के द्वारा सीधे तौर पर मंत्रालय से जुड़ सकेंगी, ताकि मंत्रालय उन सभी संस्थाओं को हर प्रकार की सहायता तुरंत उपलब्ध करवा सके।

03 छोलुंग सुकफा

- हाल ही मे असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक राजनीतिक टीकाकार, गरगा चटर्जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, जिन्होंने छोलुंग सुकफा को "चीनी आक्रमणकारी" बताया था।

छोलुंग सुकफा के बारे मे

- छोलुंग सुकफा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य (Ahom kingdom) के संस्थापक थे जिसने छह शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। समकालीन विद्वान छोलुंग सुकफा को बर्मा मूल का बताते हैं जो अहोमों का नेता थे। और लगभग 9,000 अनुयायियों के साथ 13वीं शताब्दी में ऊपरी बर्मा से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचे थे। 'ए हिस्ट्री ऑफ असम' नामक अपनी किताब में सर एडवर्ड गैट (Sir Edward Gait) ने लिखा है कि वर्ष 1235 में सुकफा एवं उनके लोग वर्षों तक भटकने के बाद ऊपरी असम के चाराइदेव (Charaideo) में आकर बस गए। चाराइदेव ही वह स्थान था जहाँ सुकफा ने अपनी पहली छोटी रियासत की स्थापना की। यहीं से अहोम साम्राज्य के विस्तार का बीज बोया गया।
- अहोम साम्राज्य के संस्थापकों की अपनी भाषा एवं धर्म था। धीरे-धीरे अहोमों ने हिंदू धर्म एवं असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया। विद्वानों का मानना है कि अहोमों ने यहाँ रहने वालों पर अपना प्रभाव डालने के बजाय यहाँ रहने वाले समुदायों की भाषा, धर्म एवं संस्कारों को अपनाया। सुकफा का महत्त्व विशेषकर आज के असम में विभिन्न समुदायों एवं जनजातियों को आत्मसात करने के उसके सफल प्रयासों में निहित है।
- उन्हें व्यापक रूप से 'बोर असोम' (Bor Asom) या 'ग्रेटर असम' (Greater Assam) के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। सुकफा एवं उसके शासन की याद में असम में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को 'असोम दिवस' (Asom Divas) मनाया जाता है।

04 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट

- यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन (UNESCO) ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में अलग-अलग देशों के पाठ्यक्रम में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से शिक्षण क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचेगा।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- वार्षिक रिपोर्ट के इस चौथे संस्करण के मुताबिक महिलाओं को किताबों में कम प्रतिष्ठित पेशे वाला दर्शाया गया है। इतना ही नहीं इन पेशों में काम करने वाली महिलाओं के स्वभाव को भी अंतर्मुखी और दब्बू बताया। इस बात को समझाने के लिए यूनेस्को ने उदाहरण के लिए बताया कि किताबों में एक ओर जहां पुरुषों को डॉक्टर दिखाया जाता है, तो वहीं महिलाओं की भूमिका एक नर्स के रूप में दर्शायी जाती है।
- रिपोर्ट में कहा गया, 'अफगानिस्तान में, 1990 के दशक में प्रकाशित पहली कक्षा के पाठ्यपुस्तकों से महिलाएं लगभग नदारद थीं। 2001 के बाद से उनकी उपस्थिति ज्यादा दिखने लगी लेकिन दब्बू, मां, देखभाल करने वालों, बेटियों और बहनों जैसी घरेलू भूमिका में। उनका अधिकतर प्रतिनिधित्व उनके लिए केवल शिक्षण के विकल्प को दिखाकर किया गया'।
- इसी तरह ईरान इस्लामी गणराज्य की 90 प्रतिशत प्राथमिक और माध्यमिक अनिवार्य शिक्षा पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा में महिलाओं की केवल 37 प्रतिशत छवियां देखी गईं। इनमें से आधी छवियों में महिलाओं को परिवार और शिक्षा से जुड़ा दिखाया गया, जबकि कार्यस्थल की छवियां सात प्रतिशत से भी कम थी। फारसी और विदेशी भाषा की 60 प्रतिशत, विज्ञान की 63 प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान की 74 प्रतिशत किताबों में महिलाओं की कोई तस्वीर नहीं थी'।
- इस रिपोर्ट में इटली, स्पेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, अमेरिका, चिली, मोरक्को, तुर्की और युगांडा में भी पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं के साथ जुड़ी इन रूढ़ियों का उल्लेख है।
- इस रिपोर्ट में सरकारों से ऐसी शिक्षा प्रणालियों का फिर से निर्माण करने की अपील की गई है जो बेहतर हो और जिसकी सब तक पहुंच हो।
- रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण की दरों पर स्कूल बंद करने के प्रभाव का आकलन अनिश्चितताओं से भरा है क्योंकि निर्णायक साक्ष्यों को सामने आना अभी बाकी है जो कई बार इस मुद्दे को काफी हद तक विभाजनकारी बनाता है।
- इसमें कहा गया, 'कुछ शिक्षक जो संवेदनशील समूहों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें चिंता है कि उनकी सेहत जोखिम में है। ऐसे बहुत कम देश हैं जो स्कूलों में सामाजिक दूरी के सख्त नियमों को लागू कर सकते हैं। कुल मिलाकर शिक्षण पर इसका असर काफी होने वाला है, भले ही इसकी तीव्रता को कम करना मुश्किल है।'
- कोविड-19 वैश्विक महामारी का वंचित विद्यार्थियों पर ज्यादा असर पड़ेगा, जिनके पास घर पर संसाधन कम हैं और यह सामाजिक-आर्थिक अंतर को और बढ़ाएगा।
- रिपोर्ट में कहा गया, 'कम और मध्यम आय वाले देशों में से 17 प्रतिशत देश और शिक्षक भर्ती करने की, 22 प्रतिशत कक्षा का समय बढ़ाने और 68 प्रतिशत स्कूल दोबारा खुलने पर सुधारात्मक कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं।'
- इन कक्षाओं की योजना कैसे होगी और इन्हें कैसी शक्ल दी जाएगी, यह इस लिहाज से देखना बहुत अहम होगा कि वंचित विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाता है या नहीं।
- इसमें कहा गया, 'कोविड-19 संकट ने दिखाया है कि यह मुद्दा संचार माध्यमों तक लोगों की असमान पहुंच (डिजिटल डिवाइड) की समस्या को दूर करने के लिए केवल तकनीकी समाधानों के बारे में नहीं है। भले ही दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) सुर्खियों में रही हो लेकिन कुछ ही देशों के पास शिक्षा एवं शिक्षण के ऑनलाइन दृष्टिकोण की चुनौतियों पर ध्यान देने का मूलभूत ढांचा है। ज्यादातर बच्चों और युवाओं ने कुछ समय के लिए सीखने के नुकसान का सीधा-सीधा सामना किया है।'

05 अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस

- 26 जून को हर साल दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस (इंटरनेशनल डे अगेन्स्ट ड्रग अब्यूस एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग) के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस इस दिवस को वर्ष 1987 से ही मनाया जा रहा है। लोगों को नशे से मुक्त कराने और उन्हें जागरुक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है।
- इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की थीम 'न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय' (हेल्थ फॉर जस्टिस एंड जस्टिस फॉर हेल्थ) है। जाहिर सी बात है कि इस बार की थीम लोगों से अपनी हेल्थ के साथ न्याय करने की अपील करती है।

महत्व

- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों को उजागर करने और इससे निपटने के तरीके के बारे में लोगों को जागरूकता लाने के लिए इस दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बीते कई सालों से UNODC ड्रग्स के नियंत्रण के लिए समर्थन हासिल करने के लिए अभियान चलाकर सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहा है। यह अक्सर अन्य संगठनों के साथ मिलकर अभियान में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र अपने ड्रग विरोधी अपराध, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) को दुनिया भर में अपने सभी अभियानों में सक्रिय करता है, जागरूकता फैलाने के लिए, सरकारों से नार्को अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने से बचने और दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने के लिए आग्रह करता है।

- पूरे विश्व में इस दिन विभिन्न समुदायों और संगठन लोगों को नशीली दवाओं के प्रति क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को जागरुक करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। इस दौरान उन्हें नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान और खतरों के बारे में बताया जाता है।

06 पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना

- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना यानि ईआईए 2020 के ड्राफ्ट पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए दी गई समय अवधि को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है। विदित हो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा समर्थित है जिसमें ईआईए पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों के तहत अधिसूचना जारी की जाती है, ताकि पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए ऐसे सभी उपाय किए जा सकें।

ईआईए क्या है?

- प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के लिए ईआईए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम मंजूरी देने के लिए लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जाता है। यह मूल रूप से, एक निर्णय लेने वाला उपकरण है जो यह तय करता है कि परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए या नही।

ईआईए प्रक्रिया में शामिल हैं

- **स्क्रीनिंग:** यह चरण यह तय करता है कि किन परियोजनाओं को पूर्ण या आंशिक मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता है।
- **स्कोपिंग:** यह अवस्था तय करती है कि किन प्रभावों का आकलन किया जाना आवश्यक

है। यह कानूनी आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विशेषज्ञ ज्ञान और सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर किया जाता है। यह चरण वैकल्पिक समाधानों का भी पता लगाता है।

- **विकल्पों के प्रभावों और विकास का मूल्यांकन:** यह चरण प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और पहचान करता है और विकल्पों पर भी विस्तार से बताता है।
- **ईआईए रिपोर्ट:** इस रिपोर्टिंग चरण में, एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) और परियोजना के प्रभाव का एक गैर-तकनीकी सारांश भी आम जनता के लिए तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट को पर्यावरण प्रभाव कथन (EIS) भी कहा जाता है।
- **निर्णय लेना:** इस चरण में परियोजना को किन शर्तों के तहत मंजूरी दी जानी है या नहीं और इस पर निर्णय लिया जाना है।
- **निगरानी, अनुपालन, प्रवर्तन और पर्यावरण लेखा परीक्षा:** निगरानी करना कि क्या अनुमानित प्रभाव और शमन प्रयास ईएमपी के अनुसार होते हैं।

07 भारत और भूटान की संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना

- हाल ही में भारत और भूटान की सरकार ने भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता उक्त परियोजना के निर्माण सहित अन्य संबंधित कार्यों के शुरू होने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

खोलोंगछु पनबिजली परियोजना

- यह परियोजना पूर्वी भूटान के त्राश्यांगत्से जिले में खोलोंगचु नदी पर स्थित होगी। इस पनबिजली परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट होगी और यह 2025 की दूसरी छमाही तक पूर्ण हो जाएगी।
- कार्यान्वयन और पनबिजली परियोजना के विकास के लिए भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कारपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया है, इस संयुक्त उद्यम को खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड नाम दिया गया है।
- इस परियोजना को खोलोंग्छू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया (SJVNL) और भूटान के डर्क ग्रीन पावर कारपोरेशन ऑफ भूटान (DGPC) के बीच निर्मित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना के तहत 95 मीटर की ऊंचाई के कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध द्वारा अवरुद्ध पानी के साथ चार 150 मेगावाट टर्बाइन वाले एक भूमिगत बिजलीघर की परिकल्पना की गई है।

भारत-भूटान द्विपक्षीय जलविद्युत परियोजनाएं

- यह भारत और भूटान की सरकारों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के तहत 5वीं पनबिजली परियोजना है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2019 में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। मंगदेछु जलविद्युत परियोजना 720 मेगावाट की है। ताला जलविद्युत परियोजना 1020 मेगावाट के साथ भूटान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2007 से चालू है और भारत द्वारा अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।
- अन्य चार पनबिजली परियोजनाएं (60 मेगावाट कुरिछू HEP, 336 मेगावाट चूखा HEP, 720 मेगावाट मंग्देछू HEP और 1,020 टाला HEP) जो कुल मिलकर 2,100 मेगावाट की परियोजनायें हैं, भूटान में पहले से ही चालू हैं।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 पिछले कुछ महीनों से भारत–चीन सीमा विवाद अत्यधिक बढ़ गया है। यह चीन की खराब होती अर्थव्यवस्था का परिणाम है या फिर उसकी महत्वाकांक्षा? चर्चा करें।

02 हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। यह राहत पैकेज उस क्षेत्र के लिए किस प्रकार सहायक होगा? उल्लेख करें।

03 कोरोना वायरस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भविष्य में इससे होने वाले प्रभावों की सविस्तार से चर्चा करें।

04 वर्तमान में दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच विवाद अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। क्या यह विश्व युद्ध का संकेत है? टिप्पणी करें।

05 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया। नशा मानव को न सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर करता है बल्कि मानसिक रूप से भी अपंग बनाता है। उल्लेख करें।

06 "मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है" इस कथन के संदर्भ में मानव–ईश्वर संबंधों की व्याख्या करें।

07 आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के अन्दर बंधुवा मजदूरों से संबंधित खबरें आती रहती हैं। देश में बंधुआ मजदूरों की स्थिति पर प्रकाश डालें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 "इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एण्ड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020" का विषय क्या है?

बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान

02 किस अंतर्राष्ट्रीय शहर ने CogX आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स पर दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं की मेजबानी की है?

लंदन

03 किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए 'प्रोजेक्ट प्लेटिना' (प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण) शुरू किया है?

महाराष्ट्र

04 आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट में कोआला की स्थिति क्या हैं?

संकटग्रस्थ

05 किस राज्य ने "गोधन न्याय योजना" शुरू किया है?

छत्तीसगढ़

06 असम-अरूणाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है?

पोबा रिजर्व फारेस्ट

07 कौन सा मंत्रालय "संकल्प पर्व" मना रहा है?

संस्कृति मंत्रालय

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

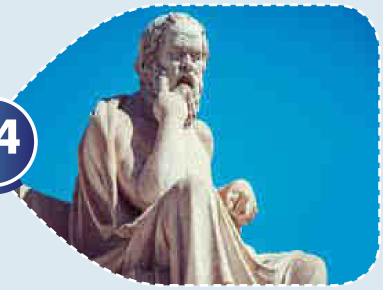

01 मनुष्य की जांच उस की मनुष्यता और उस के उत्कर्ष से होती है।

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

02 एक देश की ताकत अंततः इस बात में निहित है कि वो खुद क्या कर सकता है, इसमें नहीं कि वो औरों से क्या उधार ले सकता है।

इंदिरा गांधी

03 हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह है।

श्री अरबिंदो

04 मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं; मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं।

सुकरात

05 निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पंहुचा देता है।

महात्मा गांधी

06 बचपन का मतलब है सादगी। दुनिया को बच्चों की नजर से देखो–ये बहुत खूबसूरत है।

कैलाश सत्यार्थी

07 यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price | ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

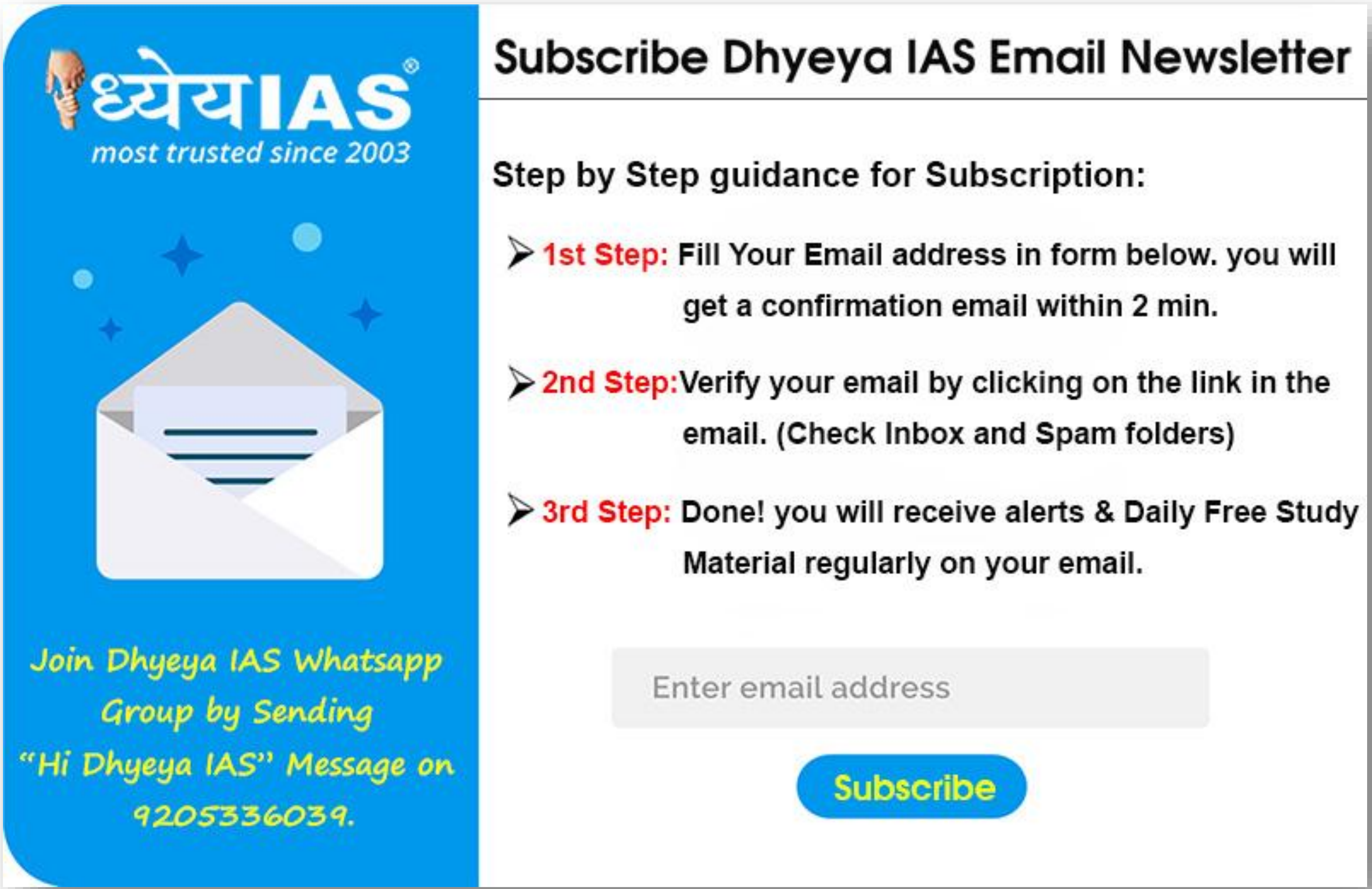

most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400